

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी)
छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी विभाग के क्रियाकलाप पर विवरण

(i) संरचना, कार्य एवं कर्तव्य (organisation, functions and duties) :-

छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विभाग के द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित मदों से राजस्व प्राप्त होता है :-

- (1) आबकारी
- (2) मनोरंजनकर

(a) संरचना (organisation) :- विभाग की संरचना निम्नानुसार है :-

(अ) विभागाध्यक्ष स्तर

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(अ)	प्रथम श्रेणी :-				
1.	आबकारी आयुक्त	18400-22400	01	01	—
2.	अपर आयुक्त आबकारी	14300-18300	02	02	—
3.	उपायुक्त आबकारी	12000-16500	03	03	—
4.	सहायक आयुक्त आबकारी	10000-15200	04	02	02
5.	संयुक्त संचालक (वित्त) (प्रतिनियुक्ति पर)	12000-16500	01	01	—
(ब)	द्वितीय श्रेणी :-				
6.	सांख्यिकीय अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	8000-13500	01	—	01
7.	जिला आबकारी अधिकारी	8000-13500	07	04	03
8.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	8000-13500	01	—	01
9.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	5500-9000	01	02	+ 01
(स)	तृतीय श्रेणी :-				
10.	स्टेनो ग्राफर ग्रेड-1	6500-10500	01	—	01
11.	स्टेनो ग्राफर ग्रेड-2	5500-9000	01	01	—
12.	स्टेनो ग्राफर ग्रेड-3	4500-7000	02	—	02
13.	सहायक अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	5000-8000	02	01	01
14.	प्रोग्रामर सहायक	4500-7000	01	—	01

1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	आबकारी उप-निरीक्षक	4500-7000	03	05	+ 02
16.	आबकारी मुख्य आरक्षक	3500-5200	01	01	-
17.	आबकारी आरक्षक	3050-4590	13	07	06
(द)	तृतीय श्रेणी- लिपिक वर्गीय एवं अन्य :-				
18.	केमिस्ट	5500-9000	01	-	01
19.	अधीक्षक	5500-9000	01	-	01
20.	सहायक अधीक्षक	4500-7000	02	-	02
21.	मुख्यलिपिक / सहायक	4500-7000	01	01	-
22.	लेखापाल	4000-6000	05	03	02
23.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	05	01	04
24.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	10	08	02
25.	वाहन चालक	3050-4590	09	09	-
(ड)	चतुर्थ श्रेणी :-				
27.	जमादार	2610-3540	01	-	01
28.	दफतरी	2610-3540	01	-	01
29.	भृत्य	2550-3200	16	09	07
30.	चौकीदार	1 पद 2550-3200	01	01	-
31.	फर्राश	1 पद 2550-3200	01	-	01
योग :-			99	62	37

(ब) जिला स्तर (मैदानी कार्यालय)

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(अ)	प्रथम श्रेणी :-				
1.	उपायुक्त आबकारी	12000-16500	03	03	-
2.	सहायक आयुक्त आबकारी	10000-15200	07	03	04
(ब)	द्वितीय श्रेणी :-				
2.	जिला आबकारी अधिकारी	8000-13500	17	17	-
3.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	5500-5000	49	47	02
(स)	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक :-				
4.	आबकारी उप-निरीक्षक	4500-7000	178	132	46
5.	मुख्य आरक्षक	3500-5200	70	64	06
6.	आबकारी आरक्षक	3050-4590	307	237	70
(द)	तृतीय श्रेणी - लिपिक वर्गीय एवं अन्य :-				
7.	मुख्य लिपिक	4500-7000	12	5	7
8.	लेखापाल	4000-6000	19	11	08
9.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	20	15	05

1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	74	66	08
11.	स्टेनो टायपिस्ट	3050-4590	09	01	08
12.	वाहन चालक	3050-4590	17	17	—
(ड)	चतुर्थ श्रेणी :-				
13.	दफ्तरी	2610-3540	06	03	03
14.	भृत्य	2550-3200	110	83	25
15.	चौकीदार	2550-3200	19	05	14
16.	फर्राश	2550-3200	01	—	01
योग :-			918	709	209

(b) आबकारी विभाग का कार्य एवं कर्तव्य (functions & duties) :- विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :-

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा, भांग एवं ताड़ी के फुटकर विक्रय हेतु एवं पॉपीस्ट्रा के फुटकर एवं थोक लायसेंस जारी कर आवेदन शुल्क, लायसेंस फीस एवं ड्यूटी के रूप में राजस्व अर्जित करना।
- (2) देशी/विदेशी मदिरा के थोक लायसेंस जारी कर लायसेंस फीस के रूप में राजस्व अर्जित करना।
- (3) देशी/विदेशी मदिरा, निर्माण एवं बॉटलिंग हेतु लायसेंस देकर लायसेंस फीस एवं बॉटलिंग फीस अर्जित करना।
- (4) देशी/विदेशी मदिरा के आयात/निर्यात की स्वीकृति दी जाकर, आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना।
- (5) देशी/विदेशी मदिरा, भांग एवं ताड़ी के फुटकर लायसेंसियों तथा पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेंसियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर शास्ति/संधानराशि आरोपित कर राजस्व अर्जित करना।
- (6) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छबिगृहों एवं वीडियो सेन्टर से मनोरंजन शुल्क प्राप्त करना, केबल आपरेटरों से मनोरंजन शुल्क प्राप्त करना एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों से मनोरंजन शुल्क प्राप्त कर राजस्व अर्जित करना।

- (7) मेडीशनल एण्ड टायलेट प्रिप्रेशन नियम के अन्तर्गत लायसेंस जारी कर लायसेंस फीस के रूप में राजस्व अर्जित करना।
- (8) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अवैध मदिरा निर्माण, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय, अवैध धारण के प्रकरणों की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी कर जाँच करने पर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर विभागीय प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति आरोपित करना एवं न्यायालयीन प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना।
- (9) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छबिगृहों, वीडियो सेन्टर एवं मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों, जिसमें मनोरंजन कर देय है, की जाँच कर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर, विभागीय प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति आरोपित करना एवं न्यायालयीन प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना।
- (10) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस.) के अन्तर्गत मादक पदार्थों के अवैध खेती, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय एवं अवैध धारण की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी ली जाकर या जाँच कर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (11) विभाग में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, छत्तीसगढ़ मनोरंजनकर अधिनियम, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले अपराधों पर उचित नियंत्रण रखकर आबकारी राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करना है।

(ii) अधिकारी एवं कर्मचारी के अधिकार एवं कर्तव्य (powers and duties of officers and employees) :-

आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य पदवार निम्नानुसार हैं :-

(अ) विभागाध्यक्ष स्तर

(a) आबकारी आयुक्त :- आबकारी आयुक्त विभाग के प्रमुख अर्थात् विभागाध्यक्ष हैं। विभागाध्यक्ष होने से एक विभागाध्यक्ष के जो अधिकार हैं, वे समस्त अधिकार उनको प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग के विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों में प्राप्त मुख्य अधिकार निम्नानुसार हैं :-

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त को लायसेंस निरस्त करने या निलंबित करने का अधिकार है।

- (2) किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (3) विभागीय प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति आरोपित करने का अधिकार है।
- (4) कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 47-ए एवं धारा 62 (2) (सी) के अधीन किए गए अपील प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार है।
- (5) शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर सी.एस.1 एवं सी.एस.1-क व 1-ख लायसेंस जारी करने का अधिकार है।
- (6) देशी मदिरा की गुणवत्ता निर्धारित करने का अधिकार।
- (7) किसी मद्य भांडागार को बंद करने का आदेश देने का अधिकार।
- (8) राज्य के बाहर से स्प्रिट आयात करने एवं राज्य से स्प्रिट निर्यात करने की अनुमति देने का अधिकार।
- (9) देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर लायसेंसों के नीलाम/टेण्डर में रुपये 4.00 करोड़ तथा भांग व ताड़ी के फुटकर लायसेंस तथा पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 व पी.एस.3 थोक एवं फुटकर लायसेंसों के नीलाम/टेण्डर में रुपये 2.50 करोड़ से ऊपर के नीलाम/टेण्डर की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (10) कलेक्टर द्वारा अंतिम किए गए नीलाम/टेण्डर को पुनर्नीलाम करने हेतु आदेश देने का अधिकार।
- (11) देशी स्परिट नियमों के उल्लंघन पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (12) आसवनी का भवन निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी स्थापित करने हेतु मानचित्र अनुमोदन करने का अधिकार।
- (13) शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर आसवनी (डिस्टिलरी) स्थापित करने हेतु लायसेंस देने एवं नवीनीकरण करने का अधिकार।
- (14) आसवनी में आसवन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले क्षारक (बेस) का अनुमोदन करने का अधिकार।
- (15) आसवनी में न्यूनतम स्कंध निर्धारित करने का अधिकार।
- (16) आसवनी प्रबंधन की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (17) आसवनी के प्लान्ट मशानरी के परिवर्तन या परिवर्धन करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (18) आसवनी नियमों में आसवनी नियमों का उल्लंघन होने पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।

- (19) विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई स्थापित करने हेतु भवन निर्माण एवं प्लान्ट व मशीनरी स्थापित करने हेतु मानचित्र अनुमोदित करने का अधिकार।
- (20) राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई स्थापित करने हेतु एफ.एल.9 व एफ.एल.9क लायसेंस जारी करने एवं नवीनीकरण करने का अधिकार।
- (21) विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई के भवन, प्लान्ट व मशीनरी कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (22) विदेशी मदिरा बनाने हेतु स्प्रिट की गुणवत्ता निर्धारित करने का अधिकार।
- (23) विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु एफ.एल.10 लायसेंस स्वीकृत करने एवं नवीनीकरण करने का अधिकार।
- (24) एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह-क्लब) एवं एफ.एल.4क (व्यवसायिक अनुज्ञप्ति) स्वीकृत करने एवं नवीनीकरण करने का अधिकार।
- (25) विदेशी मदिरा के नामपत्र/नामपत्रों (लेबल/लेबलों) का अनुमोदन एवं पंजीयन करने का अधिकार।
- (26) विदेशी मदिरा आयात, निर्यात करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (27) विदेशी मदिरा के नियमों के उल्लंघन होने पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (28) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/कलेक्टर द्वारा मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 4(सी) में पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार।
- (29) किसी भी मनोरंजन गृह का लायसेंस तीन माह तक की अवधि के लिए निलंबित या प्रतिसंहृत करने का अधिकार।
- (30) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (31) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (32) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।
- (33) आबकारी मद में जमा की गई राशि को रिफण्ड करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (34) स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, के अपलेखन के आदेश देने का अधिकार।
- (35) आबकारी राजस्व, जो वसूली योग्य नहीं है, रुपये 50,000/- तक प्रति प्रकरण में अपलेखन हेतु आदेश देने का अधिकार।

राज्य स्तर पर समस्त आबकारी प्रशासन के प्रमुख के दायित्वों का सम्पूर्ण निर्वहन का उत्तरदायित्व आबकारी आयुक्त का है। राजस्व की सुरक्षा/अर्जन/व्यवस्था/आबकारी नीति का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना उनका उत्तरदायित्व है।

(b) अपर आयुक्त आबकारी :- अपर आयुक्त आबकारी की पदस्थापना आबकारी आयुक्त कार्यालय में ही है। अपर आयुक्त आबकारी को कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया है। अतः कार्यालय प्रमुख को जो प्रशासनिक अधिकार होते हैं, वे सभी अधिकार उन्हें प्राप्त हैं।

- (1) किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु तलाशी/निरीक्षण के अधिकार हैं।
- (3) रेक्टिफाईड स्पिरिट या ई.एन.ए. निर्यात करने की स्वीकृति देने हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा अपर आयुक्त आबकारी को अधिकृत किया गया है।
- (4) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (5) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (6) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।
- (7) स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रति प्रकरण रुपये 10,000/- तक अपलेखन की स्वीकृति देने के अधिकार हैं।

मुख्यालय में पदस्थ अपर आयुक्त आबकारी कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यरत रहते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं।

(c) उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय :-

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम करने हेतु तलाशी, जप्ती करने के अधिकार।
- (2) किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (3) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत मनोरंजन केन्द्रों का निरीक्षण करने का अधिकार।
- (4) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (5) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (6) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

- (7) स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रति प्रकरण रुपये 5,000/- तक अपलेखन की स्वीकृति देने के अधिकार हैं।
- (8) आबकारी राजस्व, जो गलती से या अधिक जमा हो गई हो, को रिफण्ड करने हेतु आदेश देने का अधिकार।

आबकारी आयुक्त कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त आबकारी आबकारी आयुक्त एवं अपर आयुक्त आबकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(d) उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता :-

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम करने हेतु तलाशी, जप्ती करने के अधिकार।
- (2) किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (3) राज्य स्तरीय उड़नदस्ता में पदस्थ अधीनस्थ स्टाफ द्वारा देशी/विदेशी मदिरा, भांग, ताड़ी के फुटकर लायसेंसियों एवं पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेंसियों के विरुद्ध दर्ज किए गए विभागीय प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने के अधिकार।
- (4) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत मनोरंजन केन्द्रों का निरीक्षण करने का अधिकार।
- (5) अधीनस्थ स्टाफ द्वारा मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए विभागीय प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (6) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (7) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (8) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

आबकारी आयुक्त कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता आबकारी आयुक्त एवं अपर आयुक्त आबकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(e) सहायक आयुक्त आबकारी :- प्रदेश मुख्यालय में विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत रहते हुए, आबकारी आयुक्त, अपर आयुक्त आबकारी एवं उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी रहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें निम्न अधिकार प्राप्त हैं :-

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम करने हेतु तलाशी, जप्ती करने के अधिकार।
- (2) किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।

- (3) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत मनोरंजन केन्द्रों का निरीक्षण करने का अधिकार।
- (4) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (5) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (6) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

(f) संयुक्त संचालक (वित्त) (प्रतिनियुक्ति पर) :- संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन संवर्ग के अधिकारी के अधिकारी के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पद स्वीकृत है। संयुक्त संचालक (वित्त) विभागाध्यक्ष कार्यालय में वित्तीय व्यवस्था, लेखा संधारण, बजट, आडिट, पेंशन आदि से संबंधित कार्यों का निर्वहन हेतु उत्तरदायी रहते हैं तथा आबकारी आयुक्त एवं अपर आयुक्त आबकारी के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु भी उत्तरदायी रहते हैं।

(g) सहायक अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर) :- संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन संवर्ग के सहायक अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण अधिकारी के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पद स्वीकृत है। उक्त अधिकारी संयुक्त संचालक (वित्त) के अधीनस्थ पदस्थ रहकर, विभागाध्यक्ष कार्यालय में वित्तीय व्यवस्था, लेखा संधारण, बजट, आडिट, पेंशन आदि से संबंधित कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी रहते हैं तथा आबकारी आयुक्त एवं अपर आयुक्त आबकारी के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु भी उत्तरदायी रहते हैं।

(h) सांख्यिकीय अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर) :- संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकीय संवर्ग के अधिकारी के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पद स्वीकृत है। विभागाध्यक्ष कार्यालय में सांख्यिकीय से संबंधित कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी रहेंगे तथा आबकारी आयुक्त एवं अपर आयुक्त आबकारी व उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

(i) जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी :- प्रदेश मुख्यालय में विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत रहते हुए, आबकारी आयुक्त, अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी रहते हैं।

जो जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता में पदस्थ हैं, उन्हें निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :-

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उनके कार्यक्षेत्र में आबकारी अपराधों के नियंत्रण हेतु तलाशी, जप्ती एवं निरीक्षण करने के अधिकार हैं।
- (2) देशी/विदेशी मदिरा, भांग, ताड़ी के फुटकर लायसेंसियों एवं पापीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेंसियों के दुकानों का निरीक्षण करने एवं पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं।
- (3) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छबिगृहों, वीडिया सेन्टर एवं मनोरंजन कर के अन्य कार्यक्रम, जिन पर मनोरंजन कर देय है, का निरीक्षण करने एवं पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं।
- (4) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (5) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (6) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत लायसेंसियों एवं छबिगृहों पर उचित नियंत्रण रखना एवं आबकारी अपराधों की रोकथाम करना इनका मुख्य कर्तव्य है। उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, अपर आयुक्त आबकारी, प्रभारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(j) कम्प्यूटर प्रोग्रामर :- कार्यालय में स्थित कम्प्यूटरों पर कार्यालयीन कार्य आदि से संबंधित कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी रहेंगे तथा आबकारी आयुक्त, अपर आयुक्त आबकारी एवं उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय के द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

(k) कार्यालयीन कर्मचारी :- आबकारी आयुक्त कार्यालय में कार्यरत रहते हुए विभिन्न शाखाओं में कार्य संपादन हेतु प्रत्येक शाखा का प्रभारी कर्मचारी अपनी शाखा से संबंधित कार्यों के सम्पादन एवं अधीनस्थ पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है :-

(1) **स्थापना शाखा (अ-राजपत्रित एवं ब-अराजपत्रित)** :- स्थापना शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-

- (1) मुख्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण किया जाना।
- (2) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले अवकाश की स्वीकृति, अधिकारियों/कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धियों की स्वीकृत किया जाना।
- (3) अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थाईकरण, स्थानांतरण, पदस्थापना, संबंधी कार्य।

- (4) अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं के लिए संयुक्त परामर्शदात्री समिति का गठन, बैठक एवं लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही किया जाना।

(2) लेखा, बजट, आडिट व पेंशन शाखा :- लेखा, बजट, आडिट व पेंशन शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-

- (1) मुख्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक वेतन का आहरण एवं संवितरण। अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा शासकीय कार्य से की गई यात्रा के लिए प्रस्तुत यात्रा देयकों, स्थानांतरण पर यात्रा अग्रिम व स्थानांतरण यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान की स्वीकृति, आहरण एवं संवितरण।
- (2) कार्यालयीन कार्य से संबंधित नैमित्तिक व्यय के बिलों, कार्यालयीन भवन का किराया तथा कार्यालयीन उपयोग हेतु क्रय किए गए फर्नीचर एवं उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, पुस्तकें, स्टेशनरी, पेट्रोल आइल और लुब्रिकेन्ट आदि के क्रय बिलों के भुगतान की स्वीकृति, आहरण एवं संवितरण।
- (3) अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा राशि में से अग्रिम राशि के भुगतान की स्वीकृति, आहरण एवं संवितरण।
- (4) अधिकारियों/कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम, कम्प्यूटर अग्रिम, वाहन अग्रिम, अनाज अग्रिम, त्यौहार अग्रिम राशि के भुगतान की स्वीकृति, आहरण एवं संवितरण।
- (5) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि खाते में संचित निधि का अंतिम भुगतान, परिवार कल्याण निधि योजना/समूह बीमा योजना के अन्तर्गत जमा निधि का भुगतान एवं अन्य देय स्वत्वों का आहरण एवं संवितरण।
- (6) देशी/विदेशी मदिरा की बोतलों पर लगाए जाने वाले होलोग्राम के लिए उसकी क्रय कीमत के भुगतान की स्वीकृति, आहरण एवं संवितरण।
- (7) प्रत्येक वर्ष बजट अनुमान के लिए मुख्यालय के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों से पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं प्रस्तावित बजट अनुमान के प्रस्ताव मंगाना एवं विभाग का संकलित प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना।
- (8) शासन से प्राप्त बजट को मुख्यालय के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों को आबंटन करना।
- (9) प्रत्येक माह होने वाले व्यय के लिए व्यय पत्रक तैयार करना एवं बजट व व्यय पर नियंत्रण रखना।
- (10) मुख्यालय के साथ-साथ अधीनस्थ जिला कार्यालयों के महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किए गए आडिट/निरीक्षण पर ली गई आपत्तियों पर अधीनस्थ जिला कार्यालयों से उत्तर मंगाया जाकर, विभाग के मत के साथ महालेखाकार अथवा संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को भेजना।

- (11) आडिट आपत्तियों का निराकरण करवाना।
- (12) उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लंबित आडिट आपत्तियों पर उत्तर तैयार कर, विभाग के मत के साथ समिति को प्रस्ताव/उत्तर प्रस्तुत करना एवं लंबित आडिट आपत्तियों को त्वरित गति से निपटवाना।
- (13) अधिवार्षिकी आयु, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, विकलांगता पर सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि के मामलों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण को तैयार करना एवं पेंशन भुगतान आदेश व मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-उपादान भुगतान आदेश जारी करने के लिए प्रकरण संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को भेजना।
- (14) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उसके सेवानिवृत्ति की तारीख के आगामी माह तक प्रकरण में संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन से पेंशन भुगतान आदेश व मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-उपादान भुगतान आदेश प्राप्त न होने की दशा में सेवानिवृत्त ऐसे शासकीय सेवकों को अनन्तिम पेंशन/उपादान के भुगतान की स्वीकृति जारी करना।
- (15) सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि खाते में संचित निधि का अंतिम भुगतान, परिवार कल्याण निधि योजना/समूह बीमा योजना के अन्तर्गत जमा निधि के भुगतान की स्वीकृति जारी करना।

(3) **गोपनीय शाखा** :- गोपनीय शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-

- (1) मुख्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच, निलंबन, निलंबन से बहाल एवं विभागीय जाँच प्रकरणों में जाँच कार्यवाही एवं निर्णय से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
- (2) अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण किया जाना।
- (3) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा विभाग के अन्तर्गत मादक द्रव्यों/पदार्थों के अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा मादक द्रव्यों/पदार्थों के अवैध परिवहन, धारण, विक्रय संबंधी प्राप्त शिकायतों पर जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा की गई जाँच पर प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करना।

(4) **आसवनी शाखा** :- आसवनी शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित आसवनियों के डी-1 लायसेंसों के नवीनीकरण से संबंधित कार्यवाही किया जाना तथा राज्य में नवीन आसवनियों की स्थापना के लिए आवेदन प्राप्त, सहपत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं आवेदन के पंजीयन के लिए राशि जमा करने के चालान के साथ प्राप्त होने पर ऐसे नवीन प्रकरणों में शासन द्वारा आशय पत्र जारी करने, मानचित्र का अनुमोदन, इकाई की स्थापना के पश्चात् निरीक्षण एवं सभी दृष्टियों से उपयुक्त पाए जाने पर नवीन डी-1 लायसेंस स्वीकृत करने से संबंधित की जाने वाली कार्यवाही।

- (2) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों के लायसेंसों के नवीनीकरण से संबंधित कार्यवाही किया जाना तथा राज्य में नवीन विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों की स्थापना के लिए आवेदन प्राप्त, सहपत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं आवेदन के पंजीयन के लिए राशि जमा करने के चालान के साथ प्राप्त होने पर ऐसे नवीन प्रकरणों में शासन द्वारा आशय पत्र जारी करने, मानचित्र का अनुमोदन, इकाई की स्थापना के पश्चात् निरीक्षण एवं सभी दृष्टियों से उपयुक्त पाए जाने पर नवीन एफ.एल.9 एवं एफ.एल.9क लायसेंस स्वीकृत करने से संबंधित की जाने वाली कार्यवाही।
 - (3) विदेशी मदिरा के लिए लेबलों का पंजीयन किया जाना।
 - (4) राज्य में नवीन विनिर्माण भांडागारों/भण्डारण भांडागारों की स्थापना से संबंधित कार्यवाही। इसी प्रकार वर्तमान में स्थित विनिर्माण भांडागारों/भण्डारण भांडागारों को बंद करने से संबंधित कार्यवाही।
 - (5) देशी मदिरा के थोक प्रदाय की व्यवस्था के लिए डिस्टिलरों से टेण्डर आमंत्रित करने एवं न्यूनतम दर के टेण्डर राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रदाय आदेश तथा सी.एस.1 लायसेंस जारी करना।
 - (6) आसवनी में रेक्टिफाईड उत्पादन के लिए तथा अन्य पशु आहार निर्माण इकाईयों व अन्य औद्योगिक इकाईयों को उनकी मांग के अनुसार मोलासिस आयात व परिवहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना।
 - (7) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों को भण्डारण भांडागारों से देशीमदिरा प्रदाय के लिए व्यवस्था किया जाना।
- (5) **ढेका शाखा** :- ढेका शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-
- (1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को आवेदन प्रणाली में आबंटन करने के लिए प्रति वर्ष आबकारी नीति का निर्धारण किया जाना एवं दुकानों के आबंटन से संबंधित नियम, निर्देश जारी करने से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
 - (2) भांग एवं ताड़ी की फुटकर दुकानों के नीलाम एवं पॉपीस्ट्रा पी.एस. 2 एवं पी.एस. 3 थोक व फुटकर लायसेंसों के नीलाम के लिए प्रति वर्ष नीति का निर्धारण किया जाना एवं नीलाम से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
 - (3) विदेशी मदिरा एफ.एल. 2 अथवा एफ.एल. 3 के प्रकरणों में सामान्य प्रयुक्त नियमों अथवा जनसंख्या संबंधी मापदण्डों को शिथिलीकरण के लिए जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही किया जाना।
 - (4) विदेशी मदिरा एफ.एल. 4 असैनिक विनोद गृह (क्लब) अथवा एफ.एल. 4क (व्यवसायिक क्लब) के लायसेंसों के नवीनीकरण एवं नवीन लायसेंसों की स्वीकृति से संबंधित कार्यवाही किया जाना।

- (5) आबकारी ठेकों से संबंधित व्यवहार वाद, रिट याचिका प्रकरणों का संधारण एवं प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदि से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
- (6) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से संबंधित आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत अपील प्रकरणों में कार्यवाही किया जाना।
- (7) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रोपिक सबस्टेन्सेज (छत्तीसगढ़) नियम, 1985 में संशोधन किए जाने से संबंधित कार्यवाही एवं अधिसूचना के प्रारूप तैयार करना।

(6) **होलोग्राम शाखा** :- होलोग्राम शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-

- (1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से बेची जाने वाली सीलबंद मदिरा बोतलों में होलोग्राम लगाए जाकर ही, फुटकर दुकानों के लायसेंसियों को देशी अथवा विदेशी मदिरा का प्रदाय दिया जाता है, अतः इसके लिए होलोग्राम क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित करना एवं राज्य शासन की स्वीकृति के उपरांत होलोग्राम प्रदायकर्ता को अनुमति आदेश जारी करने से संबंधित कार्य किया जाना।
- (2) होलोग्राम प्रदायकर्ता से इंकजेट एवं अल्ट्रावायलेट नंबरिंग, जो आबकारी आयुक्त कार्यालय में ही की जाती है, के पश्चात् होलोग्राम का संग्रह उनके कर्मचारियों द्वारा होलोग्राम शाखा में सौंपा जाता है, जिसे संधारित पंजी एच.जी. 3 में प्राप्ति का लेखा संधारित करना।
- (3) देशी मदिरा बॉटलिंग के लिए स्थित विनिर्माण भाण्डागारों एवं विदेशी मदिरा प्रदायकर्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित दर पर शासकीय कोषालय में होलोग्राम क्रय राशि का चालान जमा करने पर तथा उक्त चालान आबकारी आयुक्त कार्यालय में होलोग्राम हेतु मांग पत्र एच.जी.-1 के साथ प्रस्तुत करने पर होलोग्राम का प्रदाय किया जाना, जिसके लिए एच.जी.-2 में विधिवत् पारपत्र जारी करना तथा प्रदाय किए गए होलोग्राम के लिए एच.जी.-4 में प्रदाय का लेखा रखना।
- (4) होलोग्राम का लेखा संधारित करना एवं होलोग्राम प्रदायकर्ता को उसके द्वारा प्रदाय किए गए होलोग्राम के लिए उसकी कीमत के भुगतान से संबंधित कार्यवाही किया जाना।

(7) **मनोरंजन कर शाखा** :- मनोरंजन कर शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-

- (1) मनोरंजन कर राजस्व संग्रहण छबिगृहों, वीडियो सेन्टर, केबल नेटवर्क, एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो मनोरंजन कर देय की श्रेणी में आते हैं, से प्राप्त होता है, अतः इससे संबंधित नियम, निर्देश जारी करने से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
- (2) चलचित्रों अथवा अन्य मनोरंजन के कार्यक्रमों को मनोरंजन कर से मुक्त करने से संबंधित कार्य किया जाना।

- (3) मनोरंजनकर से संबंधित व्यवहार वाद, रिट याचिका प्रकरणों का संधारण एवं प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदि से संबंधित कार्यवाही किया जाना।
- (4) मनोरंजनकर से संबंधित आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत अपील प्रकरणों में कार्यवाही किया जाना।
- (5) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन किए जाने से संबंधित कार्यवाही एवं अधिसूचना के प्रारूप तैयार करना।

(8) **सांख्यिकीय शाखा** :- सांख्यिकीय शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-

- (1) प्रदेश के 16 जिलों से राजस्व संग्रहण, मादक पदार्थों की खपत, उपलभन आदि से संबंधित मासिक विवरणियाँ प्राप्त होने पर, प्रदेश की विवरणी तैयार किया जाना।
- (2) जिलों से प्राप्त मासिक पत्रकों का जिले वार संधारण-रखरखाव से संबंधित कार्य किया जाना।

(9) **स्टोर्स, स्टेशनरी एवं रिकार्ड रूम शाखा** :- स्टोर्स, स्टेशनरी एवं रिकार्ड रूम शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-

- (1) विभागाध्यक्ष अर्थात् आबकारी आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध सामग्रियों यथा-फर्नीचर, आलमारी, इलेक्ट्रानिक सामग्रियों (कम्प्यूटर, फैंक्स मशीन आदि), वाहन आदि के लिए पंजियों में सामग्रियों का रख-रखाव एवं लेखा संधारण।
- (2) विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए फर्नीचर, आलमारी, इलेक्ट्रानिक सामग्रियों (कम्प्यूटर, फैंक्स मशीन आदि), वाहन आदि के क्रय करने से संबंधित कार्यवाही एवं नवीन क्रय की गई सामग्रियों का रख-रखाव एवं लेखा संधारण।
- (3) नवीन क्रय की गई सामग्री के लिए प्राप्त देयकों के भुगतान की स्वीकृति लेखा शाखा को जारी करना।
- (4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारियों यथा आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षकों के लिए वर्दी का क्रय एवं वितरण किया जाना।
- (5) शासकीय उपयोग के लिए पुस्तकों का क्रय किया जाना एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन उपयोग हेतु वितरण करना तथा पंजियों में लेखा संधारण किया जाना।
- (6) कार्यालय के स्टोर्स में उपलब्ध सामग्रियों को शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृति उपरांत प्रदाय, वितरण करना।
- (7) सामग्रियों का उचित रख-रखाव, वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं अनुपयोगी सामग्रियों के निराकरण के लिए समय-समय पर कार्यवाही किया जाना।

- (8) कार्यालय उपयोग के लिए स्टेशनरी क्रय किया जाना, स्टेशनरी का लेखा पंजियों में संधारित करना एवं कार्यालय उपयोग के लिए क्रय की गई सामग्रियों का लेखा रखकर कार्यालयीन उपयोग हेतु प्रदाय करना तथा शेष सामग्रियों का उचित रख-रखाव करते हुए लेखा पंजियाँ संधारित करना।
- (9) विभागाध्यक्ष कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में संधारित अभिलेखों में से जिन नस्तियों में कार्यवाही पूर्ण हो जाती है उन्हें संबंधित शाखा द्वारा रिकार्ड रूम में जमा करने पर संबंधित नस्तियों को रिकार्ड रूम में संधारित पंजी में दर्ज करना एवं रिकार्ड को व्यवस्थित रूप से रखना तथा संबंधित शाखा की मांग पर पुनः प्रदाय करना। अभिलेखों के उचित रख-रखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।
- (10) **पत्रों की आवक-जावक शाखा** :- पत्रों की आवक-जावक शाखा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना रहती है। इस शाखा में निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं :-
- (1) विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्राप्त होने वाले पत्र, जो स्थानीय स्तर से अथवा डाक से प्राप्त होते हैं, उन्हें कार्यालय प्रमुख के समक्ष डाक पेड में व्यवस्थित कर रखना।
 - (2) समस्त शासकीय पत्रों को कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित शाखाओं को मार्क किए जाने के पश्चात् उन्हें आवक पंजी में क्रमबद्ध रूप से दर्ज करना तथा संबंधित शाखाओं को वितरित कर, उनकी प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त करना। इसके लिए तीन आवक पंजियाँ संधारित हैं, जिसमें क्रमशः स्थानीय स्तर व डाक से प्राप्त साधारण पत्रों को दर्ज करना, मंत्रालय के विभिन्न विभागों से प्राप्त पत्रों को दर्ज करना एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन के कार्यालय अथवा निवास से प्राप्त पत्रों/शिकायतों को दर्ज करना।
 - (3) कार्यालय की विभिन्न शाखाओं से जारी किए जाने वाले पत्रों को जावक करना, जिसके लिए पृथक पंजी संधारित है।
 - (4) जावक पंजी में दर्ज किए गए पत्रों में से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों को डाक से भेजना तथा स्थानीय स्तर पर वितरित किए जाने वाले पत्रों को स्थानीय डाक से वितरित कराया जाकर, उसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति स्थानीय डाक बुक में रखा जाना।
 - (5) बाहर भेजे जाने वाले पत्रों के लिए शासकीय डाक टिकिट (मुद्रांक) का उपयोग करना, जिसके लिए शासकीय डाक टिकिट (मुद्रांक) पंजी संधारित है। डाक टिकिट न्यून बचने पर स्थानीय पोस्ट आफिस से क्रय करने हेतु मांगपत्र लेखा शाखा को देना तथा राशि का आहरण होने पर डाक टिकिट पोस्ट आफिस से क्रय कर इसका लेखा दिन-प्रतिदिन संधारण करना।

(ब) जिला स्तर (मैदानी कार्यालय)

(a) कलेक्टर (आबकारी) :- जिला स्तर पर कलेक्टर आबकारी प्रशासन के प्रमुख हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :-

- (1) किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।

- (2) देशी/विदेशी मदिरा, भांग, ताड़ी के चिल्लहर विक्रय हेतु एवं पॉपीस्ट्रा के थोक एवं चिल्लहर विक्रय करने हेतु लायसेंस जारी करने का अधिकार।
- (3) मादक पदार्थों के आयात, निर्यात एवं परिवहन हेतु पास जारी करने का अधिकार।
- (4) मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय की दुकानों को लोक शांति हेतु निश्चित समय के लिए बंद करने का अधिकार।
- (5) मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय के लिए जारी किए गए लायसेंसों को निरस्त करने या निलंबित करने का अधिकार है।
- (6) मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय हेतु जारी किए गए लायसेंसों के लायसेंसियों द्वारा लायसेंस शर्तों के उल्लंघन पर दर्ज किए गए प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (7) 25 लीटर से अधिक देशी/विदेशी मदिरा के अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर मदिरा एवं वाहन को राजसात करने का अधिकार।
- (8) देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को उसी परिक्षेत्र (लोकैलिटी) में स्थानांतरित करने हेतु आदेश देने का अधिकार।
- (9) देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु जारी लायसेंस के निरस्त होने या अवधि समाप्त होने पर उसमें शेष रहे स्कन्ध के निराकरण के अधिकार।
- (10) एफ.एल.1घ, एफ.एल.2, एफ.एल.3, एफ.एल.5, एफ.एल.6, एफ.एल.7 एवं एफ.एल.8 लायसेंस जारी करने के अधिकार।
- (11) विदेशी मदिरा के आयात एवं निर्यात करने की स्वीकृति देने का अधिकार।
- (12) देशी/विदेशी मदिरा के अधिक मार्गहानि के प्रकरणों में शास्ति आरोपित करने का अधिकार, जिसके लिए आबकारी आयुक्त द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया गया है।
- (13) देशी/विदेशी मदिरा, भांग, ताड़ी के फुटकर विक्रय हेतु तथा पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेंसों की नीलामी/टेण्डर की बोली/निविदा को अंतिम करने का अधिकार। देशी/विदेशी मदिरा की नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली/निविदा में रुपये 4.00 करोड़ तक की बोली/निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार तथा भांग, ताड़ी के फुटकर विक्रय हेतु तथा पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेंसों के लिए बोली/निविदा को रुपये 2.50 करोड़ तक स्वीकृत करने के अधिकार।
- (14) देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर लायसेंसों के लिए आवेदन प्रणाली में प्राप्त आवेदन पत्रों में से आवेदकों के कम्प्यूटर द्वारा सार्वजनिक लॉटरी से चयन हेतु जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष हैं।
- (15) आबकारी सलाहकार समिति "नगरीय एवं ग्रामीण" में अध्यक्ष हैं।
- (16) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृह स्वामियों द्वारा दर्शकों से लिए गए सेवाशुल्क के सही उपयोग की जाँच करने का अधिकार।

- (17) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए विभागीय प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (18) मनोरंजन गृह के किसी भी लायसेंस को 3 माह तक की अवधि के लिए निलंबित या प्रतिसंहृत करने का अधिकार।
- (19) आबकारी मद में जमा राजस्व रुपये 5,000/- तक रिफण्ड देने का अधिकार।
- (20) स्टोर में हुई हानि, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रत्येक प्रकरण में रुपये 5,000/- तक अपलेखन करने का अधिकार।
- (21) आबकारी राजस्व, जो वसूली योग्य नहीं है, प्रत्येक प्रकरण में रुपये 10,000/- तक अपलेखन करने का अधिकार।
- (22) जिला स्तर पर राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं आबकारी स्टाफ पर उचित नियंत्रण रखना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है।

(b) सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी :- छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिले क्रमशः रायपुर, जांजगीर-चाँपा एवं रायगढ़ में जिला स्तर पर सहायक आयुक्त आबकारी एवं शेष जिलों क्रमशः दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, बस्तर, उ.ब.काँकेर, द.ब.दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, सरगुजा एवं कोरिया में जिला आबकारी अधिकारी पदस्थ हैं।

सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय प्रमुख हैं एवं कार्यालय प्रमुख होने के नाते, कार्यालय प्रमुख को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे सभी अधिकार इन्हें प्राप्त हैं। उक्त के अतिरिक्त उन्हें अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :-

- (1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु तलाशी लेने, जप्ती करने के अधिकार।
- (2) किसी-भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी-भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
- (3) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत देशी/विदेशी मदिरा, भांग, ताड़ी के फुटकर एवं पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय हेतु जारी किए गए लायसेंसों के अन्तर्गत लायसेंसियों द्वारा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी/वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक द्वारा दर्ज किए गए प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार है।
- (4) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत केबल आपरेटरों को केबल सर्विस देने हेतु स्वीकृति देने का अधिकार।
- (5) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छबिगृहों, वीडियो सेन्टर एवं अन्य मनोरंजन के कार्यक्रमों, जिस पर मनोरंजन कर देय है, के निरीक्षण एवं अनियमितताएँ पाई जाने पर प्रकरण दर्ज करने का अधिकार है।

- (6) सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक द्वारा मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए विभागीय प्रकरणों में संधानराशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
- (7) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (8) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (9) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

जिला स्तर पर राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं आबकारी स्टाफ पर उचित नियंत्रण रखना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। साथ-ही आबकारी आयुक्त, अपर आयुक्त आबकारी एवं कलेक्टर द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(c) जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) :- राज्य में तीन आसवनियाँ स्थित हैं, तीनों आसवनियों में जिला आबकारी अधिकारी पदस्थ हैं। आबकारी आयुक्त की अनुमति प्राप्त करने पर आसवनी में स्प्रिट के आयात एवं उत्पादित स्प्रिट के निर्यात परमिट जारी करने के अधिकार हैं। आसवनी में जो भी उत्पादन एवं प्रदाय होता है, वह इनके नियंत्रण में होता है। आसवनी में उत्पादन एवं वितरण सुचारु रूप से करना इनका उत्तरदायित्व है।

(d) सहायक जिला आबकारी अधिकारी :- जिले में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, जप्ती करने, गिरफ्तार करने, निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं।

- (1) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छबिगृहों, वीडियो सेन्टर एवं मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों, जिस पर मनोरंजन कर देय हो, का निरीक्षण करना एवं पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार है।
- (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत तलाशी लेने एवं जप्ती करने का अधिकार है।
- (3) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने या कुर्क करने के आदेश देने के अधिकार हैं।
- (4) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत वाहन रोकने एवं तलाशी लेने के अधिकार हैं।

जिला स्तर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं छबिगृहों पर उचित नियंत्रण रखना एवं आबकारी अपराधों की रोकथाम करना इनका मुख्य कर्तव्य है। साथ-ही कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(e) सहायक जिला आबकारी अधिकारी (विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई) :- जो विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयाँ आसवनी परिसर में स्थित नहीं हैं, उनके प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी रहते हैं। बॉटलिंग इकाईयों में मदिरा की बॉटलिंग इनके पर्यवेक्षण में की जाती है। बॉटलिंग इकाई पर नियंत्रण रखना एवं अपने नियंत्रण में उत्पादन, प्रदाय का अधिकार है।

(f) सहायक जिला आबकारी अधिकारी (देशी मदिरा विनिर्माण भांडागार) :- वर्ष 2006-07 से देशी मदिरा की बॉटलिंग आसवनी परिसर स्थित विनिर्माण भांडागार में की जाकर, जिले के भण्डारण भांडागारों में सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का प्रदाय किया जा रहा है। आसवनी परिसर स्थित विनिर्माण भांडागारों पर देशी मदिरा की बॉटलिंग आसवनी में पदस्थ आबकारी अधिकारियों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में की जाती है। जिले में स्थित भण्डारण भांडागारों में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उप-निरीक्षक द्वारा देशी मदिरा के फुटकर लायसेंसियों को सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का प्रदाय दिया जा रहा है। विनिर्माण भांडागार पर पूर्ण नियंत्रण रखना एवं मादक द्रव्यों/पदार्थों का प्रदाय अपने नियंत्रण में देना आसवनी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत है। विनिर्माण भांडागार परिसर में खाली बोतलों की सफाई, धुलाई एवं बॉटलिंग अपने नियंत्रण में कराना उनका उत्तरदायित्व है।

(g) वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक :- जिले में आबकारी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वृत्त (मण्डल) है। इसके प्रभार में रायपुर शहर छोड़कर शेष जिलों के आबकारी वृत्तों में आबकारी उप-निरीक्षक पदस्थ हैं। वृत्तों में पदस्थ आबकारी उप-निरीक्षकों को अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी लेने, जप्ती करने, गिरफ्तार करने, आबकारी मादक केन्द्रों का निरीक्षण कर पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज करने के अधिकार हैं।

- (1) मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छबिगृहों, वीडियो सेन्टर एवं मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों, जिस पर मनोरंजन कर देय हो, का निरीक्षण करना एवं पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार है।
- (2) वृत्त में पंजीबद्ध किए गए न्यायालयीन प्रकरणों में सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।

वृत्त स्तर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व की सुरक्षा, राजस्व अर्जन, लायसेंसियों एवं छबिगृहों पर कुशल नियंत्रण रखना, आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखना इनका मुख्य कर्तव्य है। कलेक्टर, सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिए गए समस्त कार्यों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी हैं।

(f) आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक :- जिले के आबकारी वृत्तों में आबकारी अपराधों के नियंत्रण हेतु पदस्थ रहते हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पास या अनुज्ञा प्रस्तुत करने की मांग करने एवं तलाशी लेने का अधिकार है। आबकारी उप-निरीक्षक के साथ उपलंभन कार्य, गश्त कार्य एवं आबकारी अपराधों पर नियंत्रण रखना इनका प्रमुख दायित्व है।

(g) कार्यालयीन कर्मचारी :- जिला कार्यालयों में कार्यरत रहते हुए, जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में कार्य संपादन हेतु प्रमुख रूप से निम्नांकित शाखाएँ जिला कार्यालयों में निर्मित हैं, जिनमें परिवर्तन का अधिकार कार्यालय प्रमुख में निहित है। प्रत्येक शाखा का प्रभारी कर्मचारी अपनी शाखा से संबंधित कार्यों के सम्पादन एवं अधीनस्थ पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है :-

- (1) स्थापना एवं गोपनीय शाखा
- (2) लेखा, बजट, आडिट व पेंशन शाखा
- (3) ठेका एवं आसवनी शाखा
- (4) मनोरंजनकर शाखा
- (5) स्टोर्स, स्टेशनरी एवं रिकार्ड रूम शाखा
- (6) पत्रों की आवक-जावक शाखा

(iii) निर्णय, प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्यप्रणाली, सनियंत्रण एवं जबाबदेही की व्यवस्था (the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability) :-

(1) आबकारी विभाग के अन्तर्गत जिन प्रकरणों में स्वीकृति देने का अधिकार आबकारी आयुक्त का होता है- जैसे विदेशी मदिरा विक्रय के थोक लायसेंस जारी करना, एफएल.4 व एफ.एल.4क लायसेंस जारी करना, देशी/विदेशी मदिरा के आयात व निर्यात के सम्बन्ध में स्वीकृति देना एवं विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के पदोन्नति, वेतन भत्ते, अवकाश, विभागीय जाँच, शास्ति आदि से संबंधित ऐसे प्रकरणों में आबकारी आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित शाखा द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में टीप दी जाती है, जिसमें संबंधित शाखा के प्रभारी उपायुक्त/अपर आयुक्त आबकारी द्वारा अपनी टीप/अभिमत के साथ नस्ती आबकारी आयुक्त को आदेशार्थ भेजी जाती है। आबकारी आयुक्त द्वारा इसमें यथास्थिति आदेश दिए जाते हैं।

(2) ऐसे प्रकरण, जिनमें शासन की स्वीकृति/अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जैसे—विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाईयों के लायसेंस स्वीकृति व नवीनीकरण, स्प्रिट के विनिर्माण हेतु आसवनी लायसेंस देने या नवीनीकरण करने, देशी मदिरा के प्रदाय हेतु लायसेंस देने, आगामी वर्ष के लिए देशी/विदेशी मदिरा की नीति निर्धारित करने (जिसमें कोई विशेष परिवर्तन न हो), होलोग्राम प्रदाय आदेश देने सम्बन्धी, देशी/विदेशी मदिरा के न्यूनतम विक्रय दर निर्धारित करने सम्बन्धी, मनोरंजनकर में छूट देने सम्बन्धी, नियमों में संशोधन सम्बन्धी प्रकरण, अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नति, स्थानांतरण आदि से सम्बन्धित प्रकरणों में आबकारी आयुक्त के सम्बन्धित शाखा से नस्ती तैयार कर प्रभारी उपायुक्त आबकारी/अपर आयुक्त आबकारी के द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है। आबकारी आयुक्त अपने अभिमत सहित प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को नस्ती भेजते हैं। प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग अपने अभिमत सहित, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को भेजते हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर शासन की ओर से आदेश छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के संयुक्त सचिव या अवर सचिव द्वारा आदेश जारी किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में जिन-जिन अधिकारियों द्वारा जो टीप दी गई, उसके लिए वे उत्तरदायी हैं।

(3) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आसव के उत्पादन हेतु आसवनी स्थापित करने, विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई स्थापित करते हेतु आशय-पत्र/लायसेंस देने सम्बन्धी, आबकारी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के सम्बन्ध में, आबकारी अधिनियम, मनोरंजनकर अधिनियम आदि में संशोधन करने सम्बन्धी प्रकरणों में, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शास्ति देने या पद से हटाने आदि से सम्बन्धित प्रकरणों, जिसमें निर्णय मंत्री मण्डलीय उप-समिति/मंत्री मण्डल द्वारा लिया जाता होता है, ऐसे प्रकरणों में आबकारी आयुक्त कार्यालय के शाखा प्रभारी उपायुक्त आबकारी/अपर आयुक्त आबकारी द्वारा नस्ती आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है। आबकारी आयुक्त द्वारा नस्ती अपने अभिमत सहित प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को भेजते हैं। प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग कुछ प्रकरणों, जिसमें आवश्यक समझते हैं, विधि और विधायी कार्य विभाग से परामर्श भी लेते हैं, तत्पश्चात् सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग अपने अभिमत सहित, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को भेजते हैं। मंत्री जी के अनुमोदन पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण मंत्री मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में मंत्री मण्डल द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, उस पर संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिन प्रकरणों में मंत्री मण्डलीय

उप-समिति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंत्री मण्डलीय उप-समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री मण्डलीय उप-समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस पर सचिवालय स्तर पर संयुक्त सचिव/अवर सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। उपरोक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में जिस अधिकारी के द्वारा जो मत/टीप दी जाती है, वे उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, परन्तु संबंधित प्रकरण में लिया गया अन्तिम निर्णय सामूहिक उत्तरदायित्व का होता है।

विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों में लिये जाने वाले निर्णय के लिए प्रक्रिया में लाई जाने वाली कार्यप्रणाली, सनियंत्रण एवं जबाबदेही की व्यवस्था निम्नानुसार है :-

1 देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन की प्रक्रिया :-

(1) प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को आवेदन प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन करने की प्रणाली वर्ष 2002-03 से सम्पूर्ण प्रदेश में अपनाई गई है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन के लिए निर्धारित तिथि तक संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आबकारी अथवा जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ संबंधित समूह के लिए निर्धारित वार्षिक लागत मूल्य के अनुसार निम्नानुसार प्रोसेस फीस जमा करना होता है, जिसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के केश ऑर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के मुख्य शीर्ष "0039-राज्य उत्पादन शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 0761-विविध प्राप्तियाँ (देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह हेतु आवेदन पत्र शुल्क)" के मद में चालान द्वारा जमा कराई जाकर, आवेदन पत्र के साथ जमा किया जा सकता है। यह प्रोसेस फीस की राशि समूह का आबंटन न होने पर अथवा आवेदन निरस्त होने की स्थिति में न ही वापसी योग्य है और न ही समूह की दुकानों के आबंटन पर अग्रिम धनराशि के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी। किसी समूह की दुकानों के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में समूह का आबंटन कम्प्यूटर लॉटरी द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जाता है। एक आवेदक/फर्म/कम्पनी को किसी-भी जिले में केवल एक समूह की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबंटन किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी-भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) से एक जिले में एक समूह के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाते हैं।

(2) आवेदन पत्र के साथ आयु एवं स्थायी निवास के प्रमाण के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों में से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है :-

आयु के प्रमाण के लिए -

म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या अंतिम स्कूल से जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक द्वारा जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न अनुलग्नक-I में दिया गया शपथ पत्र या पेनकार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होना अनिवार्य है।

स्थायी निवास के प्रमाण के लिए -

मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, ड्राइविंग लाइसेंस, संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जल, टेलीफोन, बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट, इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होना अनिवार्य है।

(3) देशी/विदेशी मदिरा समूह का आबंटन होने पर संबंधित समूह के लिए निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वें भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में आवेदक को अपने चयन की सूचना प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य है। साथ-ही माह अप्रैल की लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च तक नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में जमा करना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि दिनांक 30 अप्रैल तक जमा करना अनिवार्य है, जो नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकती है। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए जिलों में बनाए गए समूहों के लिए निर्धारित वार्षिक राजस्व, निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा, निर्धारित प्रोसेस फीस की राशि, निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (ड्यूटी एवं लायसेंस फीस) तथा माह अप्रैल की निर्धारित लायसेंस फीस आदि की जानकारी संबंधित जिलों से जारी होने वाली विज्ञप्ति में दिया जाता है। उक्त जानकारी के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रदेश स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों के साथ-साथ कलेक्टर। सहायक

आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नगर निगम/नगरपालिका आदि के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी सर्व साधारण की जानकारी के लिए चस्पा कराई जाती है। उक्त संबंध में इस आबंटन की कार्यवाही के लिए नियमों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति गठित है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं तथा सचिव सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी हैं।

(4) उपरोक्त संबंध में और अन्य जानकारी के लिए संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से कार्यालयीन दिवसों एवं कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

(क) निर्धारित प्रोसेस फीस :-

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की फुटकर दुकानों/समूहों की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रणाली में आबंटन करने के लिए **प्रत्येक समूह हेतु प्रोसेस फीस रुपये 3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार) निर्धारित की गई है**। किसी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की फुटकर दुकानों/समूहों की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रणाली में आबंटन करने के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं के द्वारा किये जाने वाले निर्धारित आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ **प्रोसेस फीस रुपये 3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार) जमा की जावेगी**। प्रोसेस फीस की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञप्ति स्वीकृत न होने की स्थिति में वापसी योग्य होगी। इस संबंध में व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 6 में संशोधन हेतु शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/14/2008/वा.कर(आब.)/पाँच (07), दिनांक 07.02.2008 जारी की गई है।

(ख) समूह के आबंटन के लिए आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें :-

देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की पात्रता के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना होगा :-

(क) देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की पात्रता की शर्तें :-

(1) भारत का नागरिक हो।

(2) 21 वर्ष से अधिक आयु हो।

(3) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन राज्य में आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो। इन नियमों के नियम 13 के

अधीन व्यतीक्रमी सूची में भी सम्मिलित न हो। इसी प्रकार किसी अन्य राज्यों के तत्संबंधी प्रावधानों में भी आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो। अन्य राज्यों के संबंध में आवेदक, देश के जिन-जिन राज्यों में लायसेंस रहा है, उन राज्यों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित व्यक्ति नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि इस अवधि में आवेदक द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

- (4) आवेदक को दुकान/समूह आबंटित होने पर आपत्तिरहित स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त स्थान रखता हो या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता हो।
 - (5) आवेदक का नैतिक चरित्र अच्छा हो, और उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि न हो तथा उसको आबकारी अधिनियम, 1915 या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित न किया गया हो।
 - (6) आवेदनकर्ता के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह मूल निवासी है एवं विगत 10 वर्षों में वह जहाँ-जहाँ निवास करता रहा हो, के पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है।
 - (7) आवेदक के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।
 - (8) आवेदनकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय न हो।
 - (9) आवेदक आयकर विभाग द्वारा आवंटित स्थायी लेखा संख्या (Permanent Account Number) धारित करता हो।
- (ख) इस नियम के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) से (9) तक की शर्तों के प्रमाण स्वरूप आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के साथ-ही विहित प्रारूप में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पैन कार्ड एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :- शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर अथवा कोर्ट फीस टिकिट/एडहेसिव टिकिट का उपयोग कर अथवा फ्रैंकिंग विधि से तैयार किया जा सकता है।

(ग) देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति :- जिलों में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए अनुज्ञप्तियाँ संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए जारी की जाती हैं। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए प्ररूप सी.एस.2घ एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए प्ररूप एफ.एल.1घ में अनुज्ञप्ति दी जाती है।

2 भांग, भांग घोंटा एवं भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर दुकानों के ठेकों की प्रक्रिया :-

प्रदेश में स्थित भांग एवं भांग मिठाई तथा ताड़ी की फुटकर दुकानों को प्रतिवर्ष माह फरवरी-मार्च में नीलाम द्वारा (बोली/निविदा) दिया जाता है, जिसके ठेके की अवधि 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक रहती है। इन ठेकों का नीलाम कलेक्टर द्वारा किया जाता है। भांग एवं ताड़ी से संबंधित दुकानों के नीलाम के लिए शासन द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार संबंधित जिले के द्वारा उनके जिले हेतु निर्धारित तिथि की विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों के साथ-ही सर्व साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाता है। नीलाम में भाग लेने वाले बोलीदारों/निविदाताओं को नीलाम स्थल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश शुल्क रुपये 500/- निर्धारित है, जिसमें मुख्य बोलीदार एवं उसका एक सहायक प्रवेश कर सकता है। बोली/निविदा देने के पूर्व घोषित आरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत भाग अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होता है तथा इस अर्नेस्टमनी के विरुद्ध वह 10 गुना तक बोली दे सकता है। उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर सफल बोलीदार/निविदादाता के पक्ष में नीलाम/निविदा अंतिम किए जाने पर, सफल बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/6 भाग नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में नीलाम के तुरन्त बाद जमा करना अनिवार्य है, जिसमें अर्नेस्टमनी की राशि समायोजन योग्य होती है। उच्चतम बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/12 भाग प्रतिभूति के रूप में नीलाम के 3 दिवस के भीतर नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक गारंटी अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य है। भांग का प्रदाय संबंधित जिले के मद्य भांडागार से निर्धारित ड्यूटी दर चुकाकर, भांग का प्रदाय लिया जाता है। भांग की फुटकर दुकानों के लिए ड्यूटी दर रुपये 50/- प्रति किलोग्राम निर्धारित है। भांग अनुज्ञप्ति कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप एच.डी. 7 में जारी की जाती है। इसी प्रकार ताड़ी दुकानों के लिए मादक द्रव्य को ताड़ के वृक्ष से छेदन कर निकाला जाता है, जिसके लिए वृक्ष शुल्क प्रति वृक्ष रुपये 5/- निर्धारित है। ताड़ी दुकान की अनुज्ञप्ति कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप टी-4 में जारी की जाती है।

3 पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 थोक एवं पी.एस.3 फुटकर लायसेंसों के नीलाम की प्रक्रिया :-

प्रदेश में स्थित पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 थोक एवं पी.एस.3 फुटकर लायसेंसों को प्रतिवर्ष माह फरवरी-मार्च में नीलाम द्वारा (बोली/निविदा) दिया जाता है, जिसकी लायसेंस की अवधि 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक रहती है। इन लायसेंसों का नीलाम कलेक्टर द्वारा किया जाता है। पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 एवं पी.एस.3 से संबंधित थोक एवं फुटकर दुकानों के नीलाम के लिए शासन द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार संबंधित जिले के द्वारा उनके जिले हेतु निर्धारित तिथि की विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों के साथ-ही सर्व साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाता है। नीलाम में भाग लेने वाले बोलीदारों/निविदाताओं को नीलाम स्थल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश शुल्क रुपये 500/- निर्धारित है, जिसमें मुख्य बोलीदार एवं उसका एक सहायक प्रवेश कर सकता है। नीलाम में भाग लेने वाले बोलीदारों/निविदाताओं को बोली/निविदा देने के पूर्व घोषित आरक्षित मूल्य का 12.5 प्रतिशत भाग अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होता है तथा इस अर्नेस्टमनी के विरुद्ध वह 10 गुना तक बोली दे सकता है। उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर सफल बोलीदार/निविदादाता के पक्ष में नीलाम/निविदा अंतिम किए जाने पर, सफल बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली का 1/6 भाग नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में नीलाम के तुरन्त बाद जमा करना अनिवार्य है, जिसमें अर्नेस्टमनी की राशि समायोजन योग्य होती है। उच्चतम बोलीदार/निविदादाता को अपनी उच्चतम बोली/निविदा का 1/12 भाग प्रतिभूति के रूप में नीलाम के 3 दिवस के भीतर नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक गारंटी अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा किया जाना अनिवार्य है। पॉपीस्ट्रा लायसेंसों के अन्तर्गत थोक विक्रय की अनुज्ञप्ति प्ररूप पी.एस.2 एवं फुटकर विक्रय की अनुज्ञप्ति प्ररूप पी.एस.3 में कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की जाती है। पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 का थोक लायसेंसी पॉपीस्ट्रा का विक्रय केवल पी.एस.2 एवं पी.एस.3 लायसेंसी को थोक में कर सकता है तथा पी.एस.3 का फुटकर लायसेंसी पॉपीस्ट्रा का विक्रय केवल पी.एस.7 या पी.एस.10 में अनुज्ञा पत्र धारण करने वाले किसी व्यसनी (एडीक्ट) को या नियम 37-थ के उप-नियम (3) के अनुसार आबकारी आयुक्त की अनुज्ञा रखने वाले किसी व्यक्ति को ही पॉपीस्ट्रा का विक्रय किया जा सकता है।

4 अन्य अनुज्ञप्तियाँ एवं जारी करने की प्रक्रिया :-

(1) एफ.एल.2 रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति :- रेस्टोरेन्ट में बीयर बार के लिए प्ररूप एफ.एल.2 में अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। एफ.एल.2 रेस्टोरेन्ट बार, जिस स्थान पर खोला जाना है, यदि संबंधित स्थल नियमों के अन्तर्गत आपत्तिजनक है अथवा ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम है अथवा जनसंख्या के मान से पर्याप्त लायसेंस हैं, तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा नियमों में अथवा जनसंख्या संबंधी निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है। इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत रेस्टोरेन्ट बार में लायसेंसी द्वारा आगन्तुकों या ग्राहकों को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग हेतु केवल बीयर का विक्रय किया जा सकता है। एफ.एल.2 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 3 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घ दुकान/दुकानों से विदेशी मदिरा (केवल बीयर) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 50/- निर्धारित है। इस लायसेंस के अन्तर्गत किसी-भी समय बीयर की 600 बोटल से अधिक का स्टॉक नहीं रखा जा सकता है।

एफ.एल.2 लायसेंस के लिए निर्धारित लायसेंस फीस

क्रमांक	मापदण्ड	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 2,00,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रुपये 2,25,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 2,50,000

(2) एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति :- होटल में विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए प्ररूप एफ.एल.3 में अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। एफ.एल.3 होटल बार, जिस स्थान पर खोला जाना है, यदि संबंधित स्थल नियमों के अन्तर्गत आपत्तिजनक है अथवा ऐसे स्थान/क्षेत्र की जनसंख्या शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम है अथवा जनसंख्या के मान से पर्याप्त लायसेंस हैं, तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर की अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा नियमों में अथवा जनसंख्या संबंधी निर्धारित मापदण्डों को शिथिल करने की स्वीकृति दी जाती है। इस अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत होटल के निवासियों, उनके अतिथियों एवं आगन्तुकों को उनके स्वयं के उपयोग

हेतु अनुज्ञप्त परिसर में भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय किया जा सकता है। एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति के लिए होटल में न्यूनतम 10 कमरे होना आवश्यक है। एफ.एल.3 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 3 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घ दुकान/दुकानों से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 50/- निर्धारित है। इस लायसेंस के अन्तर्गत किसी-भी समय विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की 240 क्वार्ट बोतल का और बीयर की 480 बोतल से अधिक का स्टॉक नहीं रखा जा सकता है। वर्ष 2008-09 से विदेशी मदिरा एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्तिधारियों को विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में एक्स फैक्ट्री प्राईस रुपये 600/- तक की विदेशी मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। एफ.एल.3 लायसेंस उन्हीं होटलों को दिए जाने पर विचार किया जाता है, जो विगत 6 माह से निरन्तर संचालित हों।

एफ.एल.3 लायसेंस के लिए निर्धारित लायसेंस फीस

क्रमांक	मापदण्ड	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रुपये 4,00,000
(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रुपये 6,00,000
(ग)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रुपये 8,00,000

(3) एफ.एल.4 अव्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति (असैनिक विनोद गृह) :- विनोद गृह (क्लब), जो अव्यवसायिक हो, में क्लब के वास्तविक सदस्यों या उनके अतिथियों को अनुज्ञप्त परिसर में विदेशी मदिरा के उपभोग के लिए प्ररूप एफ.एल.4 में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। एफ.एल.4 का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 3 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घ दुकान/दुकानों से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 50/- निर्धारित है। इस अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10,000/- निर्धारित है।

(4) एफ.एल.4क व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति :- व्यवसायिक क्लब लायसेंस किसी ऐसे कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों की संस्था अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान को आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा

सकेगी, जिसके पास निम्न सूचीबद्ध सुविधाओं में से कम से कम पाँच सुविधाएँ उपलब्ध हों, जिनमें सुविधा क्रमांक (अ-1) एवं (अ-2) का होना आवश्यक है :-

- (अ-1) तरण ताल
- (अ-2) व्यायाम शाला, जिसमें शारीरिक व्यायाम हेतु कम-से-कम 12 आइटम हो।
- (अ-3) बैडमिन्टन हॉल
- (अ-4) विलियर्ड्स/पुल टेबल
- (अ-5) टेबल-टेनिस
- (अ-6) स्कवैश कोर्ट
- (अ-7) कार्ड्स रूम
- (अ-8) लांग टेनिस कोर्ट

उक्त लायसेंस के अन्तर्गत अनुज्ञप्त परिसर में विदेशी मदिरा को अधिपत्य में रख सकेगा एवं वहाँ पर इसे क्लब के सदस्यों एवं उनके वास्तविक अतिथियों को, यदि क्लब का संबंधित सदस्य उसके साथ है, विक्रय कर सकेगा। एफ.एल.4क का लायसेंसी कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट निकटतम स्थित 3 विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ दुकानों में से किसी भी एफ.एल.1घ दुकान/दुकानों से विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) अभिप्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रति परिवहन हेतु परमिट फीस रुपये 50/- निर्धारित है। इस लायसेंस के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नानुसार निर्धारित है :-

(क)	जब एफ.एल.4क अनुज्ञप्ति का अनुज्ञप्त परिसर रायपुर एवं बिलासपुर जिले में स्थित हो :-	वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1,50,000/-
(ख)	जब एफ.एल.4क अनुज्ञप्ति का अनुज्ञप्त परिसर किसी अन्य जिले में स्थित हो :-	वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 75,000/-

(5) **एफ.एल.5 प्रासंगिक अनुज्ञप्ति** :- यह अनुज्ञप्ति नृत्य, खेलकूद अथवा अन्य प्रकार के अस्थाई प्रकृति में लोक मनोरंजन के अवसर पर कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.1घ अनुज्ञप्तिधारियों से करेगा, जैसा कि कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। इस अनुज्ञप्ति के लिए लायसेंस फीस रुपये 2,000/- प्रतिदिन निर्धारित है।

(6) **एफ.एल.6 सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञप्ति** :- सैनिक केन्टीन का एफ.एल.6 अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल.7 या एफ.एल.8 के अनुज्ञप्तिधारकों को थोक विक्रय कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी या तो एफ.एल.9, एफ.एल.9क या एफ.एल.10क अनुज्ञप्तिधारक से क्रय करके अथवा आयात करके अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10000/- निर्धारित है।

(7) एफ.एल.7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति :- सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल, इण्डो तिब्बत सीमा-पुलिस, केन्द्रीय आद्योगिक सुरक्षा बल या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई पैरा मिलिट्री बल से अनुमोदित एवं सम्बद्ध सैनिक केन्टीन का एफ.एल.7 अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल.8 के अनुज्ञप्तिधारक को अथवा वास्तविक रक्षा एवं पुलिस कर्मियों को जो सुसंगत विनियमों के अधीन सम्यक् रूप से ऐसे केन्टीनों से ऐसा क्रय करने हेतु प्राधिकृत हो, विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा। विक्रय सीलबंद बोतलों में किया जायेगा। परिसर में उपभोग किया जाना निषिद्ध होगा। अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.6 अथवा एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपना स्टॉक प्राप्त करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1000/- निर्धारित है।

(8) एफ.एल.8 सैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति :- एफ.एल.8 में सैनिक विनोद गृह के लिए अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक सेना अथवा पैरा मिलिट्री कर्मियों के लिए चलाए जा रहे विनोद गृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) में उक्त विनोद गृह अथवा भोजनालय के वास्तविक सदस्यों अथवा उनके अतिथियों को अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा रख सकेगा और विक्रय कर सकेगा तथा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारक एफ.एल.6 अथवा एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारक से प्रदाय लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1000/- निर्धारित है।

(9) एफ.एल.9 बोतल भराई अनुज्ञप्ति-बॉटलिंग लायसेंस :- एफ.एल.9 में अनुज्ञप्ति शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। अनुज्ञप्तिधारक, जिसे विदेशी मदिरा की बोतल भराई की मंजूरी है, स्प्रिट को सम्मिश्रित और तेजी कम करके विदेशी मदिरा का विनिर्माण और बोतल भराई कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारक अन्य राज्यों के अनुज्ञप्तिधारकों को सम्मिलित करते हुए एफ.एल.6 और एफ.एल.10 के अनुज्ञप्तिधारकों को विदेशी मदिरा का अंतरण एवं विक्रय कर सकेगा। बोतल भराई के लिए फीस रुपये 0.05 प्रति नग निर्धारित है, जिसका संदाय अनुज्ञप्तिधारक करेगा। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 4,00,000/- निर्धारित है। विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. का प्रदाय राज्य में स्थित आसवनियों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए परिवहन फीस रुपये 100/- प्रति परमिट निर्धारित है। ई.एन.ए. का आयात राज्य के बाहर अन्य राज्यों से भी किया जा सकता है, जिसके लिए आयात फीस रुपये 6.00 प्रति बल्कलीटर निर्धारित है। अनुज्ञप्तिधारक केवल उन्हीं ब्राण्ड/लेबलों की विदेशी मदिरा की भराई कर सकता है, जिनके लेबल/लेबलों (नामपत्र/नामपत्रों) को नियम 9 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत

कराया गया हो। विदेशी मदिरा के प्रत्येक लेबल (नामपत्र) के लिए पंजीयन शुल्क रुपये 10,000/— निर्धारित है।

(10) एफ.एल.9क विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति :- यह अनुज्ञप्ति, ऐसे एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी को शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी, जिसे विदेशी मदिरा के ऐसे विनिर्दिष्ट लेबलों अथवा ब्राण्डों के स्वामी द्वारा उन लेबलों अथवा ब्राण्डों की विदेशी मदिरा की बोतल भराई के लिए विशेषाधिकार दिया गया है अथवा प्राधिकृत किया गया हो, जिन लेबलों अथवा ब्राण्डों की विदेशी मदिरा का विनिर्माण संबंधित एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी को उनके संबंध में विशेषाधिकार दिए जाने के समय अथवा पूर्व में छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी किया जा रहा है अथवा किया गया हो। यह अनुज्ञप्ति ऐसे एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी लिया जाना आवश्यक होगा, जो उसके स्वयं के स्वामित्व की ऐसी लेबलों/ब्राण्डों की विदेशी मदिरा का विनिर्माण करना चाहता हो, जिनकी विदेशी मदिरा का विनिर्माण पूर्व से ही छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी किया गया हो अथवा किया जा रहा हो। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लयसेंस फीस रुपये 50,000/— निर्धारित है।

(11) एफ.एल.10 विनिर्माणकर्ता की वितरण अनुज्ञप्ति (थोक विक्रय अनुज्ञप्ति) :- यह अनुज्ञप्ति आबकारी आयुक्त द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लिए दी जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के केवल उन ब्राण्डों तथा लेबिलों का क्रय तथा भण्डारण कर सकेगा, जो नियम 9 के अन्तर्गत पंजीकृत हो। अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.9, एफ.एल.9क और बी-1-क के अनुज्ञप्तिधारी से अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर इसी प्रकार के अनुज्ञप्तिधारी से विदेशी मदिरा का क्रय/अंतरण कर सकेगा, जो उनके द्वारा निर्मित/बॉटलिंग की गई हो। एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए एवं भण्डारण किये गये विदेशी मदिरा स्टॉक को प्रदेश के किसी-भी एफ.एल.1क, एफ.एल.1कक, एफ.एल.1ककक, एफ.एल.1घ, एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारी को विक्रित किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी सुविधानुसार एक से अधिक स्थानों/जिलों में विदेशी मदिरा भण्डारण एवं विक्रय कर सकेगा। इस लायसेंस के लिए वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 1,00,00,000/— (अक्षरी रुपये एक करोड़) निर्धारित है।

5 पेय प्रासव उत्पादन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया :- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995 के नियम 3 के अन्तर्गत आसवनी में स्प्रिट उत्पादन के लिए डिस्टिलरी की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार आसवनी का संनिर्माण तथा कार्य करने के लिए आशयित व्यक्ति, अपनी स्कीम प्ररूप डी (ए) में अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से

राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए आवेदन पंजीयन हेतु उसे रुपये 10,000/- शासन कोष में जमा कर, चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना आवश्यक है तथा आवेदक की प्रस्तावित स्कीम से सरकार का समाधान होने पर राज्य शासन द्वारा प्ररूप डी (बी) में आशय पत्र जारी किया जावेगा, जो जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक की कालावधि के लिए वैध रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, संसूचित किया गया आशय पत्र अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है तथा वह किसी भी समय धारक को कारण बताओ सूचना पत्र देने के पश्चात् और सुनवाई के उपरांत लोकहित में प्रतिसंहरण एवं प्रत्याहरण किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित को हुई हानि के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। उक्त कालावधि के दौरान भवन की योजना (प्लान) तथा नक्शे के अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ सरकार द्वारा जारी किए गए आशय पत्र की प्रति, प्रस्तावित आसवनी की परियोजना रिपोर्ट के साथ आसवनी भवन की योजना तथा नक्शा, छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन मुख्य कारखाना निरीक्षक के अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। नक्शा अनुमोदन के पश्चात् आसवनी के लिए भवन का संनिर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी का परिनिर्माण पूर्ण करने के उपरांत आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जावेगी। यदि आशय पत्र की मंजूरी तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर भवन का संनिर्माण करने में असफल रहने की दशा में किसी भी नुकसानी तथा हानि के प्रतिकर के बिना आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है, परन्तु आबकारी आयुक्त को समाधान होने पर कि दो वर्ष के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर पाने के लिए आवेदक के पास पर्याप्त कारण हैं, तो ऐसे कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आशय पत्र की अवधि में वृद्धि की जा सकती है, जो एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी। आसवनी के लिए भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूरा हो जाने पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए पाँच वर्ष की कालावधि के लिए रुपये 6,00,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर प्ररूप डी-1 में स्पिरिट के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्वधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप डी-1 में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा उक्त अनुज्ञप्ति के कार्यकरण के लिए किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है।

6 विदेशी मदिरा बॉटलिंग यूनिट अनुज्ञप्ति स्वीकृति की प्रक्रिया :- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 3 के अन्तर्गत विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई की स्थापना करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के निर्माण एवं चलाने के लिए आशयित व्यक्ति समस्त सुसंगत ब्यौरे देते हुए अपनी स्कीम अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए आवेदन पंजीयन हेतु उसे रुपये 10,000/- शासन कोष में जमा कर, चालान की मूल प्रति आवेदन के साथ जमा किया जाना आवश्यक है तथा आवेदक की प्रस्तावित स्कीम से सरकार का समाधान होने पर राज्य शासन द्वारा आशय पत्र जारी किया जावेगा, जो जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए वैध रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, संसूचित किया गया आशय पत्र अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है तथा वह किसी भी समय धारक को कारण बताओ सूचना पत्र देने के पश्चात् और सुनवाई के उपरांत लोकहित में प्रतिसंहरण एवं प्रत्याहरण किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित को हुई क्षति या हानि के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा तथा आशय पत्र का धारक "आशय पत्र" का विक्रय, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा उक्त आशय पत्र के अनुसरण में विनिर्माण इकाई या बोतल भराई इकाई से संनिर्मित करने या चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ठहराव नहीं कर सकता है। उक्त कालावधि के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के संनिर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ सरकार द्वारा जारी किए गए आशय पत्र की प्रति, विनिर्माण भवन के मानचित्र, संयंत्र और मशीनरी के साथ प्रस्तावित विनिर्माण इकाई (मैनुफैक्चरी) की परियोजना रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित या नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य कोई प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकार-पत्र या निर्बन्धन-पत्र की प्रति तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। मानचित्र अनुमोदन के पश्चात् विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के लिए भवन का संनिर्माण और संयंत्र तथा मशीनरी का परिनिर्माण पूर्ण करने के उपरांत आबकारी आयुक्त को रिपोर्ट की जावेगी। यदि आशय पत्र की मंजूरी तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र व मशीनरी की स्थापना करने में असफल रहने की दशा में किसी भी क्षति अथवा हानि की क्षतिपूर्ति के बिना आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है, परन्तु आबकारी आयुक्त को समाधान होने पर कि एक वर्ष के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं कर पाने के लिए आवेदक के पास

पर्याप्त कारण हैं, तो ऐसे कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आशय पत्र की अवधि में वृद्धि की जा सकती है, जो आबकारी आयुक्त के विवेक पर निर्भर करेगी। विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाई अथवा बोतल भराई इकाई के लिए भवन का संनिर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूरा जाने पर राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रुपये 4,00,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप एफ.एल.9 में तथा रुपये 50,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय पर एक वर्ष की कालावधि के लिए एफ.एल.9क में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो वह अनुज्ञप्ति पर दर्ज की जावेगी।

7 **बीयर निर्माण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया** :- छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970 के नियम 3 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में यवासवनी स्थापित करना या चलाना चाहता हो, उसके लिए लायसेंस प्राप्त करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को आवेदन प्रपत्र ख-1 में कर सकता है। यदि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो आवेदक द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के संनिर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन हेतु आबकारी आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। लायसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकता है :-

- (1) आवेदक ने आबकारी आयुक्त का यह समाधान कर दिया हो कि, संयंत्र की प्रतिदिन कम से कम 2,000 बोतल बीयर उत्पादन की क्षमता है;
- (2) आवेदक ने आबकारी आयुक्त का यह समाधान कर दिया हो कि, बीयर बनाने, संग्रह करने तथा उसका निर्गम करने के कारोबार के सम्बन्ध में उपयोग में लाये जाने के लिए प्रस्तावित भवन, पात्र, संयंत्र और साचित्रों को इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अनुसार बनाया गया है और यह कि आग से बचाव के लिए यथोचित सावधानी बरती गई है; और
- (3) आवेदक ने उसके लायसेंस की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए शासकीय वचन पत्रों या सामान बाजार मूल्य की अन्य शासकीय प्रतिभूतियों के रूप में रुपये 25,000/- जमानत के रूप में जमा किया है। वचन-पत्र या अन्य प्रतिभूतियों, उनके जमा किये जाने पर जिले के कलेक्टर को उसके पदनाम से पृष्ठांकित की जायेंगी। बीयर बनाने वाले को उपर्युक्त रकम पर निकलने वाला ब्याज, जैसे ही वह देय हो, लेने की अनुमति होगी।

राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रुपये 5,00,000/- वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए प्ररूप ख-1-अ में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी, जो प्रत्येक वर्ष अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जा सकेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि, आबकारी आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति को आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उप-पट्टा नहीं कर सकता है अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो वह अनुज्ञप्ति पर दर्ज की जावेगी।

8 देशी मदिरा के थोक प्रदाय हेतु निविदाओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया :-

प्रदेश के 16 जिलों को देशी मदिरा के थोक प्रदाय हेतु 08 प्रदाय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। देशी मदिरा के थोक प्रदाय के लिए टेण्डर नोटिस जारी किया जाकर, पेय प्रासव उत्पादन करने वाली आसवनियों के लायसेंस धारण करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों से, टेण्डर नोटिस में निर्धारित तिथि तक निर्धारित टेण्डर प्रपत्र पर टेण्डर आमंत्रित किए जाते हैं। आसवनी के अनुज्ञप्तिधारियों से निर्धारित तिथि तक सीलबंद टेण्डर प्राप्त होने पर, जिस प्रदाय क्षेत्र के लिए न्यूनतम दर, जिस टेण्डरदाता (आसवनी अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा दिया जाता है, उसे राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जाकर उनके द्वारा दी गई न्यूनतम दर पर राज्य के निम्नलिखित 08 देशी मदिरा प्रदाय क्षेत्रों के जिलों में स्थित भण्डारण भांडागारों से मास्टर कॉर्टन पैकिंग में सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय करने का ठेका स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	प्रदाय क्षेत्र का नाम	प्रदाय क्षेत्र में आने वाले जिलों का नाम	
1.	2.	3.	
1.	रायपुर	1.	रायपुर
		2.	महासमुंद
2.	दुर्ग	1.	दुर्ग
3.	राजनांदगांव	1.	राजनांदगांव
		2.	कबीरधाम
4.	बस्तर	1.	बस्तर
		2.	उ.ब. काँकेर
		3.	द.ब. दन्तेवाड़ा
		4.	धमतरी
5.	बिलासपुर	1.	बिलासपुर
6.	कोरबा	1.	कोरबा
7.	जांजगीर-चाँपा	1.	जांजगीर चाँपा
8.	रायगढ़	1.	रायगढ़
		2.	जशपुर
		3.	सरगुजा
		4.	कोरिया

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित देशी मदिरा की फुटकर दुकानों को देशी मदिरा का प्रदाय आबकारी विभाग के नियंत्रण में भण्डारण भांडागारों से मांग मात्रा पर निर्धारित ड्यूटी दर से ड्यूटी की राशि जमा करने के उपरांत संबंधित लायसेंसियों को सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का प्रदाय दिया जाता है। वर्ष 2006-07 से देशी मदिरा की बॉटलिंग आसवनी परिसर स्थित विनिर्माण भांडागार में की जाने की व्यवस्था की गई है। आसवनी परिसर स्थित विनिर्माण भांडागार में देशी मदिरा की बॉटलिंग, लेबलिंग, सीलिंग आदि तथा होलोग्राम चस्पा कर मास्टर कॉर्टन पैकिंग में संबंधित देशी मदिरा प्रदायकर्ता की आसवनी से उन्हें स्वीकृत प्रदाय क्षेत्रों के जिलों में स्थित भण्डारण भांडागारों को प्रदाय किया जाता है। देशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में प्रदाय करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2008-10 अर्थात् 2 वर्ष के लिए निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की गई थी, जिसमें प्रदेश के आसवकों के साथ-साथ अन्य प्रदेशों के आसवकों के द्वारा भी निविदा दी गई थीं।

9 **भाग प्रदाय की व्यवस्था** :- छत्तीसगढ़ राज्य में भाग की फुटकर दुकानें केवल 4 जिलों क्रमशः रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव व बिलासपुर में स्थित हैं तथा इन जिलों में दुकानों की कुल संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ राज्य अथवा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य में भाग की खेती नहीं होती है तथा पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के समय हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के थोक भाग प्रदायकर्ताओं से भाग प्रदाय करने के लिए टेण्डर आमंत्रित किए जाकर, भाग की आपूर्ति की जाती रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भाग की दुकानों की संख्या न्यून होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात् भाग के थोक प्रदाय के लिए टेण्डर आमंत्रित करने की कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि भाग की वार्षिक खपत लगभग 3000 किलोग्राम है, अतः छत्तीसगढ़ राज्य में भाग की न्यून आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश राज्य के आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त की जाकर, मध्यप्रदेश राज्य से भाग प्राप्त की जाकर, भाग की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को भाग का प्रदाय दिया जा रहा है।

10 **होलोग्राम क्रय करने एवं वितरण से संबंधित प्रक्रिया** :- देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी आयुक्त से प्राप्त होलोग्राम चस्पा करने के पश्चात् ही देशी एवं विदेशी मदिरा का प्रदाय फुटकर मदिरा विक्रेताओं (लायसेंसियों) को किया जाता है। आबकारी आयुक्त द्वारा होलोग्राम क्रय करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर टेण्डर मंगाये जाकर, टेण्डर का परीक्षण करने हेतु गठित समिति द्वारा टेण्डरों का परीक्षण कर अनुशंसा की जाती है तथा उस अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम टेण्डर राशि के टेण्डर की स्वीकृति शासन द्वारा दी जाती है। तत्पश्चात् शासन के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा होलोग्राम क्रय किए जाते हैं।

होलोग्राम पर इंकजेट एवं अल्ट्रावायलेट नंबरिंग होलोग्राम प्रदायकर्ता के द्वारा आबकारी आयुक्त कार्यालय में ही की जाती है तथा नंबरिंग के पश्चात् उक्त संग्रह आबकारी आयुक्त को सौंपा जाता है। आबकारी आयुक्त द्वारा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा प्रदायकर्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित दर पर शासकीय कोषालय में होलोग्राम क्रय राशि का चालान जमा करने पर तथा उक्त चालान आबकारी आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही होलोग्राम प्रदाय किए जाते हैं जिसे वे देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर चस्पा करने के पश्चात् मदिरा का प्रदाय करते हैं। होलोग्राम का प्रदाय एवं परिवहन हेतु विशेष पास जारी किया जाता है तथा प्रदायकर्ताओं द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ही होलोग्राम का प्रदाय दिया जाता है।

(iv) कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रतिमान (नार्म्स) (norms set by it for the discharge of its functions) :-

आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यालयीन कार्य के अतिरिक्त निरीक्षण को महत्ता देते हुए सामयिक अंतरालों पर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्रतिमान (नार्म्स) निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार है :-

आबकारी अधिकारियों हेतु निर्धारित निरीक्षण प्रतिमान (नार्म्स)

(क) कार्यालय निरीक्षण :-

क्र.	कार्यालय	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या	
1.	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त / अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार	
2.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	1.	आबकारी आयुक्त	तीन वर्ष में एक बार
		2.	अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार (सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय का निरीक्षण अवश्य करेंगे)
		3.	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	आबकारी आयुक्त द्वारा आवंटित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार अवश्य करेंगे।
		4.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	वर्ष में एक बार

3.	प्रभारी अधिकारी, डी-1 (आसवनी), बी-1-ए (ब्रेवरी) एफ.एल.9 (विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई), एफ.एल.9क (विशेष बोटल भराई अनुज्ञप्ति)		उपायुक्त आबकारी मुख्यालय (प्रभारी आसवनी शाखा)	वर्ष में एक बार
4.	वृत्त कार्यालय	1.	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	मुख्यालय में पदस्थ प्रत्येक उपायुक्त अपने प्रभार के जिलों के कम से कम तीन वृत्तों का निरीक्षण वर्ष में एक बार करेंगे।
		2.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	वर्ष में एक बार प्रत्येक वृत्त का निरीक्षण करेंगे।
		3.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी (यदि वृत्त के प्रभार में उप निरीक्षक पदस्थ हों)	प्रभार क्षेत्र के वृत्तों का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे।
5.	विनिर्माण भाण्डागार एवं भण्डारण भाण्डागार	1.	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	मुख्यालय में पदस्थ प्रत्येक उपायुक्त अपने प्रभार के जिलों के विनिर्माण के भाण्डागारों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे।
		2.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक विनिर्माण के भाण्डागार एवं भण्डारण के भाण्डागार का वर्ष में कम से कम 2 बार निरीक्षण करेंगे।
		3.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी (यदि विनिर्माण के भाण्डागार / भण्डारण के भाण्डागार के प्रभार में उप निरीक्षक पदस्थ हों)	प्रभार क्षेत्र के प्रत्येक विनिर्माण के भाण्डागार / भण्डारण के भाण्डागार का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे।

(ख) विभिन्न अनुज्ञप्त इकाईयों का निरीक्षण :-

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या
1.	बी-1-ए (ब्रेवरी), डी-1 (आसवनी) एवं इसके साथ दिये गये एफ.एल.9 (विदेशी मदिरा बॉटलिंग) एफ.एल.9 क (विशेष बोटल भराई अनुज्ञप्ति) (यदि इनके प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी हैं)	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	वर्ष में एक बार

2.	बी-1-ए (ब्रेवरी), डी-1 (आसवनी) एवं इसके साथ दिये गये एफ.एल.9 (विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई), एवं एफ.एल.9क (विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति) (यदि इनके प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के पद के नीचे के अधिकारी हैं)	जिले के सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी		वर्ष में एक बार
3.	स्वतंत्र रूप से दिये गये एफ.एल.9 (विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई) एवं एफ.एल.9-क (विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति)	1.	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	प्रत्येक अनुज्ञप्ति का वर्ष में एक बार
		2.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक अनुज्ञप्ति का वर्ष में कम से कम एक बार
		3.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी (यदि बॉटलिंग इकाई के प्रभार में उप निरीक्षक पदस्थ हों)	प्रत्येक अनुज्ञप्ति का वर्ष में दो बार
4.	एफ.एल.10 - बंधित भाण्डागार (विदेशी मदिरा का थोक लायसेंस)	1.	अपर आयुक्त आबकारी	वर्ष में एक बार
		2.	उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता	वर्ष में एक बार
		3.	संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	वर्ष में एक बार

(ग) अन्य अनुज्ञप्तियों का निरीक्षण :-

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	निरीक्षणों की संख्या	
1.	सी.एस.2(घ) (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री का लायसेंस), सी.एस.2 (ड) (देशी मदिरा की उप-दुकान) एवं एफ.एल.1(घ) (विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री का लायसेंस)	1.	उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता / जिला आबकारी अधिकारी, उड़नदस्ता	प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक माह में 4 केन्द्र
		2.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक केन्द्र वर्ष में एक बार
		3.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक केन्द्र वर्ष में एक बार

		4.	वृत्त का प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी / उप निरीक्षक	मुख्यालय स्थित केन्द्रों का पाक्षिक एवं अन्य केन्द्रों का मासिक
2.	मनोरंजन केन्द्र (छबिगृह एवं वीडियो पार्लर)	1.	उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता / जिला आबकारी अधिकारी, उड़नदस्ता	प्रत्येक अधिकारी कम से कम दो छबिगृह प्रति माह
		2.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र का वर्ष में कम-से-कम दो बार
		3.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र का त्रैमासिक
		4.	वृत्त का प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी / उप निरीक्षक	प्रत्येक मनोरंजन केन्द्र प्रत्येक माह में कम से कम दो बार
3.	पी.एस.2 (थोक) (पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय का लायसेंस)	1.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक पी.एस.2 अनुज्ञप्ति वर्ष में एक बार।
		2.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक पी.एस.2 अनुज्ञप्ति वर्ष में दो बार।
		3.	वृत्त का प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी / उप निरीक्षक	प्रत्येक पी.एस.2 अनुज्ञप्ति तीन माह में एक बार।
4.	पी.एस. 3 (पॉपीस्ट्रा विक्रय का फुटकर लायसेंस), ताड़ी (वृक्ष से निकाला गया द्रव्य), एफ.एल.2 (रेस्टोरेन्ट बार, केवल बीयर हेतु), एफ.एल.3 (होटल बार अनुज्ञप्ति), एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब), एफ.एल.6 (सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञप्ति), एफ.एल.7 (सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति), डी.एस.1 (डिनेचर्ड स्प्रिट विक्रय का थोक लायसेंस) डी.एस.2 (डिनेचर्ड स्प्रिट विक्रय का फुटकर लायसेंस), डी.एस. 3 (प्रमाणिक उद्योगों, वैज्ञानिक और	1.	सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक अनुज्ञप्ति वर्ष में एक बार।
		2.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	प्रत्येक अनुज्ञप्ति वर्ष में एक बार।
		3.	वृत्त का प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी / उप निरीक्षक	पी.एस.3, ताड़ी एवं एफ.एल. 2 / 3 माह में एक बार शेष अनुज्ञप्तियां तीन माह में एक बार

<p>मंद करने के प्रयोजन के लिए डिनेचर्ड स्पिरिट को कब्जा में रखने की अनुज्ञप्ति), डी.एस.4 (औषधि विक्रेताओं द्वारा कब्जे, उपयोग और विक्रय के लिए उद्योगों में कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति), आर.एस.1 (परिशोधित स्पिरिट के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति), एल.2 (अल्कोहल एवं अन्य नारकोटिक्स ड्रग्स मिश्रित दवाओं के निर्माण की अनुज्ञप्ति), एच.डी.7 (भाग के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति), एच.डी.8 (भाग घोंटा एवं भांग मिठाई की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति), डी.एस.पी.1 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के निर्माण और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति) डी.एस.पी.2 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के थोक विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति), डी.एस.पी.3 (विप्रकृत स्पिरिट जन्य सम्पाकों के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति)</p>	4.	जिला आबकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता	प्रत्येक माह में कम से कम 2 अनुज्ञप्ति
---	----	---	--

(v) विभाग में रखे जाने वाले विधान-नियम (Rules, regulations, instructions, manuals and records) :-

(अ) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य संपादन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले नियम, विधान, आदेश, निर्देश, जो उनके द्वारा धारित किए जाते हैं, निम्नानुसार हैं। मुख्यालय अर्थात् आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं अधीनस्थ सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यालयों में धारित होते हैं :-

- (1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915)
- (2) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936)
- (3) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985)
- (4) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (क्रमांक 16 सन् 1955)
- (5) मादक (स्पिरिटजन्य) सम्पाक अन्तर्राज्य (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (क्रमांक 39 सन् 1955)

- (6) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 46 सन् 1988)
- (7) सामान्य प्रयोग के नियम, 1960
- (8) आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्य संबंधी नियम, 1960
- (9) सामान्य अनुज्ञप्ति शर्तें
- (10) छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995
- (11) छत्तीसगढ़ देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002
- (12) छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995
- (13) छत्तीसगढ़ ताड़ी नियम, 1960
- (14) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996
- (15) छत्तीसगढ़ विप्रकृत स्पिरिट नियम, 1960
- (16) छत्तीसगढ़ परिशोधित स्पिरिट नियम, 1960
- (17) छत्तीसगढ़ भांग नियम, 1960
- (18) छत्तीसगढ़ अपीलें, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन नियम, 1960
- (19) छत्तीसगढ़ राजसात वस्तुओं के (निपटारा) के संबंध में नियम, 1960
- (20) छत्तीसगढ़ मादक मादक सम्पाक अन्तर्राज्य (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण नियम, 1960
- (21) छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970
- (22) छत्तीसगढ़ विप्रकृत मादक (स्पिरिटजन्य) संपाक नियम, 1969
- (23) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ सिद्धदोष या आदी (व्यसनी) के द्वारा बंधपत्र निष्पादन नियम, 1985
- (24) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ (केन्द्रीय) नियम, 1985
- (25) स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेक पदार्थ (छत्तीसगढ़) नियम, 1985
- (26) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क नियम, 1942
- (27) छत्तीसगढ़ सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982
- (28) छत्तीसगढ़ सिनेमा (वीडियो कैसट रिकार्डर द्वारा फिल्म प्रदर्शन) अनुज्ञापन नियम, 1983
- (29) छत्तीसगढ़ केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम, 1999
- (30) होलोग्राम के क्रय, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन व निर्गम के सम्बन्ध में जारी निर्देश
- (31) देशी/विदेशी मदिरा, भांग, ताड़ी के फुटकर एवं पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 व पी.एस.3 थोक व फुटकर लायसेंस जारी करने हेतु जारी किए गए निर्देश

(ब) उक्त के अतिरिक्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होने वाले निम्नलिखित नियम मुख्यालय अर्थात् आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं अधीनस्थ सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यालयों में रखे जाते हैं :-

- (1) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम
- (2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977
- (3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976
- (4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा) परिचर्या नियम, 1958
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
- (6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (स्थाई एवं अर्द्धस्थाई) सेवा नियम, 1960
- (7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
- (8) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
- (9) छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-एक
- (10) छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-दो
- (11) छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना नियम, 1985
- (12) छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955
- (13) छत्तीसगढ़ वेतन निर्धारण नियम
- (14) छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम
- (15) छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-एक एवं दो
- (16) छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग- एक एवं दो
- (17) छत्तीसगढ़ लेखा संहिता भाग- एक एवं दो
- (18) छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम
- (19) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदग्रहणकाल) नियम, 1982

(vi) विभाग द्वारा धारित अभिलेखों की श्रेणी (Statement of the categories of documents):-

विभाग में रखे जाने वाले अभिलेखों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :-

- (1) आबकारी आयुक्त कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख।
- (2) सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख।

- (3) जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) के कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख।
- (4) विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में रखे जाने वाले अभिलेख।
- (5) मद्य भांडागार में रखे जाने वाले अभिलेख।
- (6) वृत्त कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख।

(i) आबकारी आयुक्त कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख

- (1) आबकारी की फुटकर दुकानों के ठेकों से संबंधित अभिलेख
- (2) आसवनी एवं बॉटलिंग इकाईयों से संबंधित अभिलेख
- (3) होलोग्राम क्रय करने संबंधी निविदायें आमंत्रित करने से संबंधित अभिलेख एवं होलोग्राम के क्रय एवं प्रदाय से संबंधित पंजियों तथा जमा राशि से संबंधित अभिलेख
- (4) न्यायालीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (5) स्थापना शाखा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
- (6) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (7) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित जाँच संबंधी अभिलेख
- (8) मनोरंजनकर में छबिगृहों, वीडियो, केबल आपरेटरों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों से संबंधित अभिलेख
- (9) स्टोर, स्टेशनरी एवं भण्डार क्रय एवं प्रदाय से संबंधित अभिलेख
- (10) बजट निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण तथा जिलों को आबंटन संबंधी अभिलेख
- (11) आडिट एवं कार्यालयीन निरीक्षण से संबंधित अभिलेख
- (12) अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं अन्य भत्तों एवं अग्रिम धनों के भुगतान से संबंधित देयकों से संबंधित अभिलेख
- (13) समस्त व्यय की गई राशियों के लिए मासिक व्यय विवरणी से संबंधित समस्त अभिलेख
- (14) होलोग्राम की खरीदी, रख-रखाव एवं प्रदाय संबंधी अभिलेख
- (15) सांख्यिकी से संबंधित समस्त जानकारी (आय, खपत, उपलंभन आदि) से संबंधित अभिलेख एवं मासिक पत्रकों की तैयारी व संधारण

(ii) सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालयों (मैदानी कार्यालय) में रखे जाने वाले अभिलेख

- (1) आबकारी की फुटकर दुकानों के ठेकों से संबंधित अभिलेख
- (2) आसवनी एवं बॉटलिंग इकाईयों के लिए मुख्यालय से जारी किए गए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत जिलों में स्थित इकाईयों से संबंधित अभिलेख
- (3) न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित अभिलेख

- (4) स्थापना शाखा में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेख
- (5) समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावलियों से संबंधित अभिलेख
- (6) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरणों से संबंधित अभिलेख
- (7) अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित जाँच संबंधी अभिलेख
- (8) मनोरंजनकर में छबिगृहों, वीडियो, केबल आपरेटरो एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों से संबंधित अभिलेख
- (9) स्टोर, स्टेशनरी एवं भण्डार क्रय एवं प्रदाय से संबंधित अभिलेख
- (10) शासकीय वाहनों का रख-रखाव एवं अन्य कार्यालयीन उपकरणों के क्रय व रख-रखाव से संबंधित अभिलेख एवं वाहन की लागबुक
- (11) बजट निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण तथा मुख्यालय से प्राप्त बजट आबंटन संबंधी अभिलेख
- (12) आडिट संबंधित अभिलेख
- (13) अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन एवं अन्य भत्तों एवं अग्रिम धनों के भुगतान से संबंधित देयकों से संबंधित अभिलेख
- (14) समस्त व्यय की गई राशियों के लिए मासिक व्यय विवरणी से संबंधित अभिलेख
- (15) सांख्यिकी से संबंधित समस्त जानकारी (आय, खपत, उपलंभन आदि) से संबंधित अभिलेख एवं मासिक पत्रकों की तैयारी व प्रेषण
- (16) कार्यालय, वृत्, भांडागार, आसवनी, बॉटलिंग यूनिटों के निरीक्षणों से संबंधित निरीक्षण टीपें
- (17) आबकारी अपराधों एवं विभागीय लायसेंसियों द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराध घटना पंजी पी-14 का संधारण एवं रख-रखाव तथा विभागीय प्रकरणों की नस्तियाँ

(iii) जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) के कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख

क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	डी-1	आसवनी अनुज्ञप्ति	आसवनी में स्प्रिट उत्पादन हेतु राज्य शासन के अनुमोदन के अध्यक्षीन आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुज्ञप्ति
2.	सी.एस.1	देशीमदिरा प्रदाय अनुज्ञप्ति	आसवनी से स्प्रिट प्रदाय हेतु राज्य शासन के अनुमोदन के अध्यक्षीन आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुज्ञप्ति
3.	सी.एस.1ख	देशी मदिरा की बॉटलिंग अनुज्ञप्ति	आसवनी परिसर स्थित विनिर्माण भांडागार में देशी मदिरा की बॉटलिंग, लेबलिंग, सीलिंग आदि कर, मास्टर कॉर्टन पैक में प्रदाय क्षेत्र के भण्डारण भांडागार को सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के प्रदाय हेतु अनुज्ञप्ति

4.	डी-3	गेजिंग चार्ट	प्लान्ट में स्थापित फार्मेन्टेशन टैंक की मात्रा ज्ञात करने हेतु।
5.	डी-4	गेजिंग चार्ट	स्प्रिट रूम में स्थापित रिसीवर एण्ड व्हेट स्टोरेज में स्प्रिट की मात्रा ज्ञात करने हेतु।
6.	डी-5	रजिस्टर	कच्चे माल की आमद एवं खपत की जानकारी हेतु
7.	डी-6	फार्म	स्प्रिट उत्पादन हेतु उपयोग में लाये गये कच्चे माल की मात्रा एवं उससे तैयार वाश की घोषणा हेतु
8.	डी-7	फार्म	स्प्रिट उत्पादन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले पात्र एवं स्प्रिट प्राप्ति की सूचना हेतु
9.	डी-8	रजिस्टर	डी-6, डी-7 एवं स्प्रिट उत्पादन प्रक्रिया की सर्वे डायरी
10.	डी-9	रजिस्टर	स्प्रिट उत्पादन की प्राप्ति का लेखा-जोखा रखने हेतु
11.	डी-10	रजिस्टर	व्हेट में रखी मदिरा का लेखा रजिस्टर
12.	डी-11	रजिस्टर	स्प्रिट स्टॉक रजिस्टर
13.	डी-14	फार्म	स्प्रिट प्रदाय हेतु आवेदन पत्र
14.	सी.एस.5	फार्म	मद्य भांडागारों को स्प्रिट प्रदाय हेतु आसवनी प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट
15.	डी-16	लॉग टिकिट बुक	स्प्रिट रूम में लगे राजस्व ताले बन्द एवं खुलने में लगने वाले टिकिट
16.	डी-17	रजिस्टर	स्प्रिट प्रदाय के विवरण की जानकारी हेतु
17.	डी-18	रजिस्टर	मद्य भांडागारों में दैनिक स्प्रिट प्रदाय की जानकारी हेतु
18.	डी-19	रजिस्टर	स्प्रिट आयात का लेखा-जोखा रखने हेतु
19.	डी-20	फार्म	मद्य भांडागारों को मदिरा प्रदाय का मासिक पत्रक
20.	डी-21	रजिस्टर	मदिरा संग्रह कक्ष प्रभारी अधिकारी की दैनंदिनी
21.	डी-22	फार्म	स्प्रिट उत्पादन एवं प्रदाय का त्रैमासिक पत्रक
22.	डी-23	फार्म	स्प्रिट उत्पादन एवं प्रदाय का मासिक पत्रक
23.	डी-25 व 26	रजिस्टर	आसवनी में कार्यरत आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा आसवनी के कर्मचारियों/श्रमिकों के विवरण हेतु
24.	आर.एस.2	फार्म	स्प्रिट आयात परमिट
25.	आर.एस.3	फार्म	स्प्रिट निर्यात परमिट
26.	एफ.एल.14	फार्म	एफ.एल.9 इकाई को स्प्रिट प्रदाय परमिट
27.	पी-1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार रजिस्टर

(iv) विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में रखे जाने वाले अभिलेख

क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संधारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	एफ.एल.9	विदेशी मदिरा भराई अनुज्ञप्ति	विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में उत्पादन, बॉटलिंग हेतु राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुज्ञप्ति

2.	एफ.एल.9क	विदेशी मदिरा विशेष बोटल भराई अनुज्ञप्ति	विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में अन्य विनिर्माता कम्पनियों की विदेशी मदिरा की बॉटलिंग फ्रैन्चाईसी व्यवस्था के अन्तर्गत करने हेतु राज्य शासन के अनुमोदन के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा जारी अनुज्ञप्ति
3.	डी-4	गेजिंग चार्ट	इकाई में स्थापित व्हेट में संग्रहित ब्लैण्ड मदिरा व ई.एन.ए. मदिरा की मात्रा ज्ञात करने हेतु।
4.	—	उत्पादन रजिस्टर	बॉटलिंग इकाई में बॉटलिंग किए गए ब्राण्ड/लेबल वार पेटियों की दिवस वार जानकारी
5.	—	प्रदाय पंजी	इकाई के एफ.एल.9 गोदाम में संग्रहित विदेशी मदिरा का गोदाम से प्रदाय की जानकारी
6.	डी-10	व्हेट पंजी	इकाई में स्थापित ब्लैण्डिंग व्हेट तथा ई.एन.ए. स्टोरेज व्हेट में ब्लैण्ड तथा ई.एन.ए. का लेखा रजिस्टर
7.	डी-11	रजिस्टर	स्प्रिट एवं ब्लैण्ड लेखा रजिस्टर
8.	डी-12	रजिस्टर	प्रतिदिन उत्पादन विवरण रजिस्टर
9.	एफ.एल.15	फार्म	राज्य में विदेशी मदिरा परिवहन किए जाने हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र
10.	डी-16	लॉक टिकिट बुक	इकाई में लगे राजस्व तालों को बंद करने एवं खोलने में लगने वाले लॉक टिकिट बुक
11.	डी-19	रजिस्टर	ई.एन.ए./स्प्रिट आयात का लेखा-जोखा का विवरण
12.	डी-21	रजिस्टर	प्रभारी अधिकारी बॉटलिंग इकाई की दैनंदिनी
13.	एफ.एल.22	फार्म	बंध-पत्र के अधीन विदेशी मदिरा के निर्यात के लिए अनुज्ञा-पत्र
14.	एफ.एल.23	फार्म	विदेशी मदिरा के निर्यात के लिए निष्पादित किया जाने वाला बंध-पत्र
15.	—	रजिस्टर	इकाई से निर्यात की जाने वाली विदेशी मदिरा का ब्राण्ड/लेबल वार लेखा संधारण
16.	—	रजिस्टर	इकाई से निर्यात की गई विदेशी मदिरा का गंतव्य स्थान पर प्राप्त होने के लिए सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं विवरण रखने की पंजी
17.	पी-1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार पंजी
18.	एच.जी. 5	रजिस्टर	होलोग्राम की प्राप्ति का लेखा
19.	एच.जी. 6	रजिस्टर	मदिरा बॉटलिंग पश्चात् बोटलों में चस्पा करने हेतु उपयोग में लाए गए, विकृत/नष्ट हुए होलोग्राम का लेखा
20.	एच.जी. 7	फार्म	होलोग्राम प्राप्ति, उपयोग, शेष स्कन्ध एवं विकृत/नष्ट हुए होलोग्राम संबंधी साप्ताहिक पत्रक
21.	—	रजिस्टर	बॉटलिंग इकाई से परिवहन की जाने वाली विदेशी मदिरा के लिए परमिट पंजी

(v) विनिर्माण भांडागारों / भण्डारण भाण्डागारों में रखे जाने वाले अभिलेख

क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संघारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	डी-12	रजिस्टर	देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों की आमद, प्रदाय एवं बचत का लेखा रखने हेतु
2.	डी-16	रजिस्टर (बुक)	भांडागारों में राजस्व ताले लगाने एवं खोलने के लिए लॉक टिकिट बुक
3.	डी-17	रजिस्टर	सीलबंद देशी मदिरा बोतलों के प्रदाय की पंजी
4.	डी-18	रजिस्टर	सीलबंद देशी मदिरा बोतलों को दुकानवार प्रदाय की पंजी
5.	डी-21	रजिस्टर	भांडागार अधिकारी की दैनंदिनी
6.	डी-24 (Part I & II)	फार्म	देशी मदिरा दुकानों को प्रदाय की गई मदिरा की जानकारी का मासिक पत्रक
7.	डी-25	रजिस्टर	देशीमदिरा प्रदायकर्ता की ओर से कार्यरत स्थाई कर्मचारियों / श्रमिकों का मजदूरी रजिस्टर
8.	डी-26	रजिस्टर	देशीमदिरा प्रदायकर्ता की ओर से कार्यरत अस्थाई श्रमिकों का मजदूरी रजिस्टर
9.	एच.डी. 26	रजिस्टर	भाग दुकानों को प्रदाय की गई भाग का लेखा रजिस्टर
10.	जी-2	रजिस्टर	देशी / विदेशी मदिरा, भाग की फुटकर दुकानों की लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली का रजिस्टर
11.	ओ.एफ. 7	रजिस्टर	भांडागारों में उपलब्ध सामग्रियों का रजिस्टर
12.	ओ.एफ. 9	रजिस्टर	भांडागारों में उपलब्ध अभिलेखों के निरसन का रजिस्टर
13.	पी-1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार का रजिस्टर (पत्रों का आवक-जावक)
14.	—	रजिस्टर	देशीमदिरा के फुटकर लायसेंसियों को प्रदाय की गई देशीमदिरा पर आय कर वसूली का रजिस्टर
15.	—	रजिस्टर	देशी मदिरा दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं उसके विरुद्ध उठाई गई मदिरा का लेखा रजिस्टर
16.	एच.जी. 5	रजिस्टर	होलोग्राम की प्राप्ति का लेखा
17.	एच.जी. 6	रजिस्टर	मदिरा बॉटलिंग पश्चात् बोतलों में चस्पा करने हेतु उपयोग में लाए गए, विकृत/नष्ट हुए होलोग्राम का लेखा
18.	एच.जी. 7	फार्म	होलोग्राम प्राप्ति, उपयोग, शेष स्कन्ध एवं विकृत/नष्ट हुए होलोग्राम संबंधी साप्ताहिक पत्रक
19.	—	रजिस्टर	मदिरा बोतलों पर लगाए जाने वाले ढक्कनों एवं लेबलों का लेखा रजिस्टर

(vi) जिले के आबकारी वृत्त कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेख

क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संघारित अभिलेखों का नाम	उपयोग का प्रकार
1.	पी-1	रजिस्टर	पत्र व्यवहार पंजी (पत्रों का आवक एवं जावक)
2.	पी-2	फार्म	आबकारी वृत्त उप-निरीक्षक की पाक्षिक दैनंदिनी
3.	पी-3	रजिस्टर	आबकारी वृत्त उप-निरीक्षक की भ्रमण पंजी
4.	पी-4	फार्म	आबकारी वृत्त उप-निरीक्षक द्वारा माह में किए गए निरीक्षण एवं भ्रमण की जानकारी का मासिक पत्रक
5.	पी-5	रजिस्टर	आबकारी दुकानों के लाभ-हानि के मूल्यांकन का रजिस्टर
6.	पी-6	रजिस्टर	आबकारी वृत्तों के क्षेत्राधिकार स्थित ग्रामों के लिए ग्रामवार इतिहास का रजिस्टर
7.	पी-7	रजिस्टर	आबकारी वृत्तों में आबकारी उप-निरीक्षक को अपराधों की प्राप्त सूचना का रजिस्टर
8.	पी-8	फार्म	आबकारी वृत्तों में दर्ज किए गए प्रकरणों के लिए अपराध एवं घटना रिपोर्ट का फार्म
9.	पी-9	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में जप्त मदिरा व अन्य सामग्री की जप्ती का फार्म
10.	पी-10	फार्म	आबकारी प्रकरणों में जप्त मुद्देमाल का फार्म, जो चालान के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है
11.	पी-11	फार्म	आबकारी प्रकरणों में अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद पत्र (अभियोजन) न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है
12.	पी-12	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में पारित निर्णयों के लिए रिजल्ट स्लिप फार्म
13.	पी-13	फार्म	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग, ताड़ी, पॉपीस्ट्रा दुकानों एवं अन्य अनुज्ञप्तियों के निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं हेतु लायसेंस को दिया जाने वाला आरोप-पत्र
14.	पी-14	रजिस्टर	वृत्तों में कायम किए गए प्रकरणों को जिला कार्यालय में दर्ज करने के लिए अपराध एवं घटना रजिस्टर
15.	पी-15	फार्म	विभागीय प्रकरणों में आरोपित संधानराशि/शास्ति की सूचना देने का फार्म
16.	पी-16	फार्म	अपराधिक प्रकरणों में मुलजिम को जमानत देने के लिए जमानत मुचलका फार्म
17.	पी-26	रजिस्टर	इनाम वितरण रजिस्टर
18.	जी-2	रजिस्टर	देशी/विदेशी मदिरा, भांग, ताड़ी एवं पॉपीस्ट्रा पी.एस.2 व पी.एस.3 की दुकानों की लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली का रजिस्टर
19.	-	अभियोजन रजिस्टर	न्यायालयीन प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन रजिस्टर

20.	ओ.एफ. 7	रजिस्टर	वृत्तों में उपलब्ध सामग्रियों का रजिस्टर
21.	ओ.एफ. 9	रजिस्टर	वृत्तों में उपलब्ध अभिलेखों के निरसन का रजिस्टर
22.	—	रजिस्टर	देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं उसके विरुद्ध उठाई गई मदिरा का लेखा रजिस्टर
21.	—	रजिस्टर	आबकारी पुरानी बकाया एवं वसूली का रजिस्टर

(vii) संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/स्थानीय निकाय/जन-भागीदारी का नीति निर्धारण या नीतियों के क्रियान्वयन में योगदान/भागीदारी (consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration) :-

(1) नियमों के अन्तर्गत गठित आबकारी सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य देशी मदिरा और विदेशी मदिरा व अन्य मादक औषधियों की दुकानों को खोलने एवं मदिरा विक्रय के लिए आबकारी दुकानों की संख्या और क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में उनके वितरण के सम्बन्ध में सलाह मशविरा करना एवं समिति की राय लेना है। वर्तमान में स्थित मदिरा की किसी दुकान को बंद करना है या दुकानों के स्थान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव हो तो ऐसे प्रस्तावों पर राय-मशविरा किया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा समिति की राय के साथ जिले का पूर्ण प्रतिवेदन भेजा जाता है, जिस पर शासन द्वारा आगामी वर्ष के लिए नीति विषयक निर्णय लिया जाता है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के खण्ड (ब) में आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्य सम्बन्धी नियम प्रावधानित हैं, जिसके नियम-1 में नगरपालिका और छावनी (कन्टोनमेन्ट) क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होता है :-

(अ)	कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर नियुक्त डिप्टी कलेक्टर	—	पदेन सभापति
(ब)	जिला पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, जो मण्डल निरीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो	—	सदस्य
(स)	नगर पालिका समिति द्वारा चुने हुए क्षेत्र की नगर पालिका परिषद के चार सदस्य	—	सदस्य
(द)	(i) अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि, और	—	सदस्य

	(ii)	मादक द्रव्य के व्यापारियों के प्रतिनिधि, जो दो से अधिक न हों, जो कलेक्टर द्वारा नामजद किए जायेंगे, यदि वह विचार करता है कि खण्ड (स) के अन्तर्गत चुने हुए सदस्य ऐसी जाति या व्यापारी का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, और	—	सदस्य
(ड)		जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला आबकारी अधिकारी	—	पदेन सचिव

(2) नगर पालिका समिति में चुने हुए प्रतिनिधियों में से खण्ड (स) के अनुसार चार सदस्य प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होंगे तथा "चुना गया कोई सदस्य (प्रतिनिधि), नगरपालिका समिति के सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता की अवधि तक सलाहकार समिति का सदस्य रहेगा या जब तक सलाहकार समिति में उसके उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता, रहेगा, परन्तु शर्त यह है कि उस समिति में अपनी सदस्यता की अवधि के समाप्त होने के कारण के अतिरिक्त अन्य किसी कारण के वह नगर पालिका की सदस्यता से वंचित होता है, तो वह सलाहकार समिति की सदस्यता से भी वंचित हो जायेगा।"

(3) ग्रामीण सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान नियम-3 में है, जिसके अनुसार **ग्रामीण क्षेत्र में सलाहकार समितियों का गठन** किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होता है :-

(अ)		कलेक्टर या समय-समय पर कलेक्टर द्वारा नियुक्त डिप्टी कलेक्टर	—	पदेन सभापति
(ब)		जिला पुलिस अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, जो मण्डल निरीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो	—	सदस्य
(स)		जिले में प्रत्येक जनपद सभा द्वारा चुने हुए दो सदस्य या ऐसे क्षेत्र में प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत जिले में गठित अन्य इसी प्रकार के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुने गए दो सदस्य	—	सदस्य
(द)	(i)	अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि, और	—	सदस्य
	(ii)	मादक द्रव्यों के व्यापारियों के दो से अनधिक प्रतिनिधि, और	—	सदस्य

(ii)	आदिम जनजाति के प्रतिनिधि, जो दो से अधिक न हों, जो कलेक्टर द्वारा नामजद किए जायेंगे, यदि वह विचार करता है कि, खण्ड (स) के अन्तर्गत चुने गए सदस्य ऐसी जाति, व्यापारी या जनजाति का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, और	—	सदस्य
(ड)	जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी या उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला आबकारी अधिकारी	—	पदेन सचिव

(4) शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस बैठक में गठित समिति के सदस्यों के अतिरिक्त माननीय सांसद एवं माननीय विधायकों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है और इस बैठक में आगामी वर्ष के लिये ठेकों की व्यवस्था के संबंध में मत लेकर अध्यक्ष/कलेक्टर अपने अभिमत के साथ प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को भेजते हैं। इस तरह सर्व जन-भागीदारी के उपरांत ही आगामी वर्ष के लिए देशी/विदेशी मदिरा, भांग व ताड़ी के फुटकर लायसेंसों तथा पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर लायसेंसों की व्यवस्था संबंधी नीति पर शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्णय लिया जाता है।

(viii) समितियों का गठन एवं उनकी कार्यप्रणाली (boards, councils, committees and other bodies) :-

आबकारी विभाग के लिए प्रभावशील नहीं है।

(ix) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विवरणिका (directory of its officers and employees):-

आबकारी विभाग के अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं दूरभाष के नंबरों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम	दूरभाष क्रमांक	
			कार्यालय	निवास
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री अजय सिंह	आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर	4080962	2331014
2.	श्री समुद्र सिंह	अपर आयुक्त आबकारी, मुख्यालय	2432994	—
3.	श्री आर.सी.सिलोदिया	अपर आयुक्त आबकारी, मुख्यालय	2423162	6452391
4.	श्री पी.एल.वर्मा	उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय	2423947	2432377
5.	श्री जे.आर.कश्यप	उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय	2432655	—
6.	श्री आर.के.मण्डावी	उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय	2445614	—
7.	श्री पुरुषोत्तम सोनी	संयुक्त संचालक (वित्त), मुख्यालय	2445614	—
8.	श्री एस.एल.पवार	सहायक आयुक्त आबकारी, उड़नदस्ता	2423947	—
9.	श्री जी.आर.बिंझवार	सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय	2432655	—
10.	श्री वाय.मेश्राम	जिला आबकारी अधिकारी, मुख्यालय	2423947	—

11.	श्री संजय पारीक	उपायुक्त आबकारी, संभा.उड़नदस्ता, रायपुर	—	—
12.	श्री एम.आर.ठाकुर	उपायुक्त आबकारी, संभा.उड़न., बिलासपुर	—	—
13.	श्री आर.एस.ठाकुर	उपायुक्त आबकारी, छ.ग.रा.बेव.कार्पो. लिमि.	4017994	—
14.	श्री के.आर.दाऊ	सहायक आयुक्त आबकारी, जांजगीर-चाँपा	222653	222916
15.	श्री एल.एल.ध्रुव	जिला आबकारी अधिकारी, रायपुर	2426188	—
16.	श्री के.आर.जर्नादन	जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग	2323769	2323757
17.	श्री आशीष श्रीवास्तव	जिला आबकारी अधिकारी, राजनांदगांव	224078	224158
18.	श्री नोहर सिंह ठाकुर	जिला आबकारी अधिकारी, धमतरी	232648	232848
19.	श्री पी.एल.साहू	जिला आबकारी अधिकारी, महासमुंद	223316	223315
20.	श्री आर.एन.मरई	जिला आबकारी अधिकारी, कबीरधाम	232227	232816
21.	श्री अरविन्द पाटले	जिला आबकारी अधिकारी, बस्तर	222457	227514
22.	श्री जे.एल.नेताम	सहायक आयुक्त आबकारी, उ.ब.काँकर	241301	223202
23.	श्री बी.आर.देवांगन	जिला आबकारी अधिकारी, द.ब.दन्तेवाड़ा	252480	252457
24.	श्री आर.के.तिवारी	जिला आबकारी अधिकारी, बिलासपुर	232080	255377
25.	सुश्री नीतू नोतानी	जिला आबकारी अधिकारी, कोरबा	224565	224461
26.	श्री एस.आर.भगत	जिला आबकारी अधिकारी, जशपुर	220327	220386
27.	श्री बी.एल.मण्डावी	जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा	222713	222729
28.	श्री विजय सेन शर्मा	जिला आबकारी अधिकारी, कोरिया	232541	232202
29.	—	सहायक आयुक्त आबकारी, रायगढ़	222733	222721
30.	श्री पी.आर.खापर्डे	जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी), केडिया केसल डिलॉन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग	3095115	—
31.	श्री अनिमेष नेताम	जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी), वेलकम डिस्टिलरीज प्रा.लि., छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर	281159	—
32.	श्री आर.सी.ओझा	जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी), भाटिया वाईन मर्चेन्ट्स प्रा.लि., धूमा, तहसील-मुंगेली, जिला-बिलासपुर	—	—

(x) अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन एवं क्षतिपूर्ति (monthly remuneration received by each of its officers and employees) :-

आबकारी आयुक्त कार्यालय (विभागाध्यक्ष स्तर) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके पद के लिए निर्धारित वेतनमान में देय मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्तों के साथ भुगतान किया जाता है। विभाग में अभी तक क्षतिपूर्ति विषयक कोई विधान नहीं है। मैदानी कार्यालय अर्थात् सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी जिले से प्राप्त की जा सकती है। मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	वेतनमान	दिनांक 01.04.2008 का वेतन (समस्त भत्तों सहित)
1.	2.	3.	4.	5.
1	श्री समुद्र सिंह	अपर आयुक्त आबकारी	14300-400-18300	35396
2	श्री आर.सी.सिलौदिया	अपर आयुक्त आबकारी	12000-375-16500	34408
3	श्री जे.आर.कश्यप	उपायुक्त आबकारी	12000-375-16500	31639
4	श्री पी.एल.वर्मा	उपायुक्त आबकारी	12000-375-16500	30214
5	श्री आर.के.मण्डावी	उपायुक्त आबकारी	12000-375-16500	26544
6	श्री पुरुषोत्तम सोनी	संयुक्त संचालक (वित्त)	12000-375-16500	32471
7	श्री एस.एल.पंवार	सहायक आयुक्त आबकारी	10000-325-15200	26544
8	श्री जी.आर.बिंझवार	सहायक आयुक्त आबकारी	10000-325-15200	25826
9	श्री एल.एल.ध्रुव	जिला आबकारी अधिकारी	8000-275-13400	21450
10	श्री अनिमेष नेताम	जिला आबकारी अधिकारी	8000-275-13500	22060
11	श्री वाय.मेश्राम	जिला आबकारी अधिकारी	8000-275-13500	20485
12	श्री एम.आर.उडके	सहा.जिला आब. अधिकारी	5500-175-9000	17704
13	श्री उपेन्द्र बड़गैया	सहा.जिला आब. अधिकारी	5500-175-9000	17704
14	श्री राजेश कुमार परमार	सहा.आंतरिक लेखाधिकारी	5000-150-8000	13576
15	श्री पी.के.शुक्ला	आबकारी उप-निरिक्षक	4500-125-7000	16163
16	श्री सुनील बख्सी	आबकारी उप-निरिक्षक	4500-125-7000	16254
17	श्री डी.डी.साहू	आबकारी उप-निरिक्षक	4500-125-7000	12102
18	श्री जी.पी.एस.दर्दी	आबकारी उप-निरिक्षक	4500-125-7000	14593
19	श्री ओ.पी.शर्मा	शीघ्र लेखक ग्रेड-2	5500-175-9000	15139
20	श्रीमति अनसतसिया तिग्गा	सहायक	4500-125-7000	12911
21	श्री के.पी.बर्वे	लेखापाल	4000-100-6000	13465
22	श्रीमति सरला गौतम	लेखापाल	4000-100-6000	12579
23	श्री जगदीश ठाकुर	सहायक ग्रेड-2	4000-100-6000	10293
24	श्री के.के.यादव	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	9489
25	श्री भूपेन्द्र तिवारी	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	8095
26	श्रीमति साधना तुली	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	8260
27	श्री संताष कुमार ध्रुव	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	7578
28	श्रीमति शुभांगी	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	7260
29	कु. हेमा बुनकर	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	7595
30	श्री राहुल सिंह बघेल	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	6931

31	श्री मनोज कुमार यादव	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	7263
32	श्री गोपाल हीरे	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	—
33	श्री श्रीजिष पिल्लई	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	7098
34	श्री अशोक कुमार सहीस	सहायक ग्रेड-3	3050-75-3950-80-4590	6931
35	श्रीमती सुप्रिया तिवारी	आबकारी उप-निरीक्षक	4500-125-7000	10163
36	श्री कल्याण सिंह ध्रुव	आबकारी मुख्य आरक्षक	3500-80-4700-100-5200	11713
37	श्री रामदास अनंत	आबकारी आरक्षक	3050-75-3950-80-4590	10237
38	श्री संतोष कुमार दुबे	आबकारी आरक्षक	3050-75-3950-80-4590	10414
39	श्री जागेश्वर वर्मा	आबकारी आरक्षक	3050-75-3950-80-4590	10414
40	श्री बनवारी लाल पाण्डे	आबकारी आरक्षक	3050-75-3950-80-4590	10237
41	श्री कृष्ण कुमार ध्रुव	आबकारी आरक्षक	3050-75-3950-80-4590	10060
42	श्री सुरेश कुमार पुरैना	आबकारी आरक्षक	3050-75-3950-80-4590	10237
43	श्री तोषण कुमार मंडलोई	आबकारी आरक्षक	3050-75-3950-80-4590	7601
44	कु. सुनीता भास्कर	आबकारी आरक्षक	3050-75-3950-80-4590	7601
45	श्री विनोद कुमार	वाहन चालक	3050-75-3950-80-4590	10636
46	श्री महावीर ध्रुव	वाहन चालक	3050-75-3950-80-4590	7945
47	श्री प्रीतम सिंह छाबड़ा	वाहन चालक	2550-55-2660-60-3200	7595
48	श्री अनिल ठाकरे	वाहन चालक	2550-55-2660-60-3200	8263
49	श्री सुरेश सिंह	भृत्य	2750-70-3800-75-4400	8487
50	श्री शेख रफीक	भृत्य	2550-55-2660-60-3200	6866
51	श्री रामकुमार बघेल	भृत्य	2550-55-2660-60-3200	7635
52	श्रीमति सरस्वती बाई	भृत्य	2550-55-2660-60-3200	6250
53	श्री पूरन लाल निर्मलकर	भृत्य	2550-55-2660-60-3200	7923
54	श्री दिनेश कुमार ध्रुव	भृत्य	2550-55-2660-60-3200	6250
55	श्री उज्ज्वल राम राठिया	फर्राश	2550-55-2660-60-3200	7778
56	श्री नितेश बैस	भृत्य	2550-55-2660-60-3200	6117
57	श्री सुशील चन्द्राकर	भृत्य	2550-55-2660-60-3200	5996
58	श्री संतोष राम कहरा	वाहन चालक	कलेक्टर दर पर	3037
59	श्री भरत लाल साहू	वाहन चालक	कलेक्टर दर पर	3037
60	श्री पूरनलाल देशमुख	वाहन चालक	कलेक्टर दर पर	3037
61	श्री कमल दीवान	वाहन चालक	कलेक्टर दर पर	3037
62	श्री जनक कुमार सिन्हा	वाहन चालक	कलेक्टर दर पर	3037
63	श्री बालकृष्ण साहू	वाहन चालक	कलेक्टर दर पर	3037

(xi) बजट (budget allocation) :-

आबकारी विभाग नॉन-प्लान विभाग है। अतः इसका बजट केवल विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्ता तथा कतिपय खरीदियों से संबंधित होता है, जो योजनान्तर्गत नहीं होता है। वर्ष 2008-09 के लिए राज्य शासन द्वारा आबकारी विभाग के लिए स्वीकृत बजट आबंटन निम्नानुसार है :-

**कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 मद
2039-001-122 अधीक्षण के अन्तर्गत शासन से स्वीकृत बजट आबंटन**

उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष		कुल आबंटन (राशि रुपये हजार में)
1	2	3
01 वेतन, भत्ते आदि	001 वेतन	4100
	002 मंहगाई वेतन	2050
	003 मंहगाई भत्ता	2765
	006 मकान किराया भत्ता	282
	014 अन्य भत्ते	60
	015 चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	5
	020 त्यौहार अग्रिम	12
	022 अनाज अग्रिम	27
	024 चिकित्सा अग्रिम	100
योग उद्देश्य 01		9262
02 मजदूरी	004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	4
	005 दैनिक वेतन भोगी	72
योग उद्देश्य 02		76
03 यात्रा भत्ता	001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	40
	002 यात्रा भत्ता स्थानांतर आदि पर	40
	006 अवकाश यात्रा सुविधा	0
योग उद्देश्य 03		180
04 कार्यालय व्यय	001 डाक तार व्यय	15
	002 दूरभाष व्यय	150
	003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	50
	004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएँ	5
	005 बिजली एवं जल प्रभार	100
	006 वर्दियाँ	25
	007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	110
	008 अन्य आकस्मिक व्यय	250
	009 सुचना प्रौद्योगिकी	150
	011 पेट्रोल तेल आदि	525
	013 किराया महसूल और कर	576
	योग उद्देश्य 04	

05- प्रशिक्षण	001-अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	50
10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	008-शासकीय अभिभाषकों को फीस	500
15 डिफ्री धन का भुगतान (भारित)		5
17 सम्मेलन		5
24 अनुरक्षण कार्य	001- मोटर गाड़ी	200
	002- मशीन तथा उपकरण	150
योग उद्देश्य (24)		350
25 सामग्री एवं पूर्ति	003 मुद्रण के लिये कागज (होलोग्राम का क्रय)	66000
योग योजना (122)		78284

आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के अधीन मैदानी कार्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 मद 2039-001-1470 जिला कार्यपालिक स्थापना के अन्तर्गत शासन से स्वीकृत बजट आबंटन

उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष		कुल आबंटन (राशि रुपये हजार में)
1	2	3
01 वेतन, भत्ते आदि	001 वेतन	43500
	002 महंगाई वेतन	21750
	003 महंगाई भत्ता	29360
	005 आदिवासी क्षेत्र भत्ता	2300
	006 मकान किराया भत्ता	10
	014 अन्य भत्ते	676
	015 चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	1000
	020 त्यौहार अग्रिम	100
	022 अनाज अग्रिम	200
	024 चिकित्सा अग्रिम	300
योग उद्देश्य 01		98596
02 मजदूरी	004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	30
	005 दैनिक वेतन भोगी	270
योग उद्देश्य 02		300
03 यात्रा भत्ता	001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	2000
	002 यात्रा भत्ता स्थानांतर आदि पर	100
	006 अवकाश यात्रा सुविधा	10
योग उद्देश्य 03		2110
04 कार्यालय व्यय	001 डाक तार व्यय	110
	002 दूरभाष व्यय	550
	003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	900
	004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएँ	30
	005 बिजली एवं जल प्रभार	500

	006 वर्दियां	955
	007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	900
	008 अन्य आकस्मिक व्यय	2000
	011 पेट्रोल तेल आदि	1200
	013 किराया महसूल और कर	1000
योग उद्देश्य 04		8145
15 डिक्री धन का भुगतान (भारित)		300
24 अनुरक्षण कार्य	001 मोटर गाड़ी	0
	002 मशीन तथा उपकरण	100
योग उद्देश्य (24)		100
34 वाहनों का क्रय	003 हल्का वाहन	0
योग योजना (1470)		109551

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर की विभागीय रासायनिक प्रयोगशाला के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 मद 2039-001-6734 विभागीय रासायनिक प्रयोगशाला के लिए बजट आबंटन

उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष		कुल आबंटन (राशि रुपये हजार में)
1	2	3
01 वेतन, भत्ते आदि	001 वेतन	103
	002 महंगाई वेतन	51
	003 महंगाई भत्ता	65
	014 अन्य भत्ते	10
	015 चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	18
योग 01 वेतन :-		247
04- कार्यालय व्यय	003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	500
25- सामग्री और पूर्ति	006 अन्य व्यय	100
योग योजना (6734)		847

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 मद 2039-102 अफीम आदि की खरीदी-1111 आबकारी सामग्री की खरीद के लिये बजट आबंटन

उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष		कुल आबंटन (राशि रुपये हजार में)
1	2	3
25 सामग्री एवं पूर्ति	001 भण्डार तथा कच्चा माल	75
योग योजना (1111)		75

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 मद 2039-104 शराब और स्पिरिट की खरीदी - 4173 स्पिरिट की खरीद के लिये बजट आबंटन

उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष		कुल आबंटन (राशि रुपये हजार में)
1	2	3
25 सामग्री एवं पूर्ति	001 भण्डार तथा कच्चा माल	180000
योग योजना (4173)		180000

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 मद 2039-800-4034 विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन के लिये बजट आबंटन

उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष		कुल आबंटन (राशि रुपये हजार में)
1	2	3
01 वेतन, भत्ते आदि	001 वेतन	7800
	002 महंगाई वेतन	3900
	003 महंगाई भत्ता	5265
	006 मकान किराया भत्ता	465
	014 अन्य भत्ते	133
योग उद्देश्य 01		17563
02 मजदूरी	004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	50
	005 दैनिक वेतन भोगी	3200
योग उद्देश्य 02		3250
03 यात्रा भत्ता	001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	0
	002 यात्रा भत्ता स्थानांतर आदि पर	0
योग उद्देश्य 03		0
04 कार्यालय व्यय	001 डाक तार व्यय	0
	005 बिजली एवं जल प्रभार	0
	007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0
	008 अन्य आकस्मिक व्यय	0
	011 पेट्रोल तेल आदि	0
	013 किराया महसूल और कर	200
योग उद्देश्य 04		200
25 सामग्री एवं पूर्ति	001 भण्डार तथा कच्चा माल	5000
	006 अन्य व्यय	0
	योग :- उद्देश्य 25	5000
योग योजना (4034)		26013

सभी जिलों को आवंटित बजट नान-प्लान बजट होता है। जिलों के द्वारा प्रत्येक माह बजट आबंटन के अध्यक्षीन व्यय की गई राशि के लिए आहरण एवं व्यय का मासिक पत्रक भेजा जाता है, जिसमें आवंटित बजट के विरुद्ध कितना व्यय किया गया एवं कितना बजट शेष है, की जानकारी दी जाती है।

(xii) (the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes) :-

आबकारी विभाग में प्रभावशील नहीं है।

(xiii) (particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it) :-

विभाग द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को छूट नहीं दी गई है। कुछ जाति विशेष या व्यक्ति समूह को दी गई छूट की जानकारी निम्नानुसार है :-

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे, अर्थात् :-

- (i) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपयोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों के प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा।
- (ii) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।
- (iii) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी-भी समय 5 लीटर होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य में बिशप, डायोसिस ऑफ, रायपुर को केवल पूजा के प्रयोजन हेतु, सेक्रामेन्टल वाईन के निर्माण, कब्जा एवं परिवहन हेतु छूट प्रदान की गई है।

(xiv) सूचना का रख-रखाव (details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form) :-

वर्तमान में आबकारी आयुक्त कार्यालय की वेबसाईट नहीं है, किन्तु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान-केन्द्र, रायपुर की वेबसाईट पर आबकारी विभाग के क्रियाकलापों का उपरोक्तानुसार विवरण उपलब्ध है। निकट भविष्य में आबकारी विभाग की वेबसाईट की व्यवस्था होने पर, आबकारी आयुक्त कार्यालय की जानकारी अथवा सूचना इन्टरनेट पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(xv) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सुविधाओं का विवरण (the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use) :-

नागरिकों के लिए विभाग में सूचनाओं के लिए पृथक लायब्रेरी या वाचनालय की व्यवस्था नहीं है। समस्त जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी के पास उनके कार्यक्षेत्र के अभिलेखों की जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध रहेगी, जो किसी नागरिक द्वारा उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाने पर कार्यालयीन समय में अवलोकन की सुविधा दी जायेगी और उसकी प्रति चाही

जाने पर अथवा अन्य कोई जानकारी, जो उन्हें जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कराई जा सकती है, की मांग करने पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी। इन्टरनेट पर जानकारी देने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।

(xvi) जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण (the names, designations and other particulars of the Public Information Officers) :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आबकारी विभाग के मुख्यालय स्तर एवं जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारियों को विभाग द्वारा जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	क्षेत्र	नाम जन सूचना अधिकारी	कार्यालय का नाम	दूरभाष क्रमांक		
				एस.टी.डी. कोड	कार्यालय	निवास
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	जिला स्तर (District Level)	श्री एल.एल.ध्रुव, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, रायपुर	0771	2426188	2442577
2.		श्री आर.एस.ठाकुर, उपायुक्त आबकारी	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, रायगढ़	07762	222733	222921
3.		श्री आर.के.तिवारी, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, बिलासपुर	07752	232080	233821
4.		श्री के.आर.दारु, सहायक आयुक्त आबकारी	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जांजगीर-चौपा	07817	222653	222916
5.		सुश्री नीतू नोतानी, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, कोरबा	07759	224565	224461
6.		श्री आशीष श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, राजनांदगांव	07744	224078	224158
7.		श्री के.आर.जर्नादन, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, दुर्ग	0788	2323769	2323757
8.		श्री नोहरसिंह ठाकुर, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, धमतरी	07722	232648	232848
9.		श्री पी.एल.साहू, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, महासमुंद	07723	223316	223315
10.		श्री आर.एन.मरई, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, कबीरधाम	07741	232227	232816
11.		श्री अरविन्द पाटले, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, बस्तर	07782	222457	227514
12.		श्री जे.एल.नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, उ.ब.काँकरे	07868	241301	223202
13.		श्री बी.आर.देवांगन, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, द.ब.दन्तेवाड़ा	07856	252480	252457
14.		श्री एस.आर.भगत, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, जशपुर	07763	220327	220386

15.		श्री बी.एल.मण्डावी, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा	07774	222713	222729
16.		श्री विजय सेन शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी, कोरिया	07836	232541	232202
17..	राज्य स्तर (State Level)	उपायुक्त आबकारी (मुख्यालय)	कार्यालय, आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर	0771	2432655	—

नागरिकों के द्वारा अनुविभाग स्तर पर कार्यालय वृत्त आबकारी उप-निरीक्षक/सहायक जिला आबकारी, जिला स्तर पर कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी एवं राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष के कार्यालय में उपायुक्त आबकारी से अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय अर्थात् प्रातः 10.30 बजे से संध्या 5.30 बजे के बीच सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं।

(xvii) अन्य विवरण (such other information, as may be prescribed) :-

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के लिए वर्षवार निर्धारित राजस्व एवं न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा

क्र.	वर्ष	देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के लिए वर्षवार निर्धारित राजस्व	निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (मि.गा.)		
			देशी मदिरा (प्रूफलीटर में)	विदेशी मदिरा	
				स्पिरिट (प्रूफलीटर में)	माल्ट (बल्कलीटर में)
1.	2002-03	341,40,53,386	1,87,72,993	86,99,909	48,63,693
2.	2003-04	353,95,20,956	1,72,71,288	77,06,567	44,08,892
3.	2004-05	388,01,42,221	1,90,27,847	82,20,208	46,82,436
4.	2005-06	432,69,76,780	2,11,56,139	91,83,207	53,17,750
5.	2006-07	486,37,79,892	2,28,52,150	1,07,44,892	66,40,069
6.	2007-08	550,35,75,413	2,46,31,806	1,28,81,678	79,25,081
7.	2008-09	630,41,00,597	2,60,76,688	1,60,76,430	95,42,842

आबकारी विभाग की आय (समस्त मदों से)

(आय करोड़ रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	शीर्ष 0039-राज्य उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत आबकारी आय	शीर्ष 0045-मनोरंजन शुल्क एवं तम्बाखू शुल्क के अन्तर्गत आय	कुलयोग आय
1.	2001-02	323.61	6.63	330.24
2.	2002-03	362.48	6.47	368.95
3.	2003-04	403.57	4.13	407.70
4.	2004-05	460.02	4.22	464.24
5.	2005-06	632.95	4.43	637.38
6.	2006-07	708.05	5.32	713.37
7.	2007-08	844.22	6.37	850.59

मादक द्रव्यों की खपत

क्रमांक	वर्ष	देशी मदिरा (प्रूफलीटर में)	विदेशी मदिरा	
			स्प्रिट (प्रूफलीटर में)	माल्ट (बल्कलीटर में)
1.	2002-03	1,88,12,136	84,34,917	45,68,763
2.	2003-04	1,92,15,947	83,32,008	47,92,145
3.	2004-05	2,15,04,847	1,02,33,388	54,07,464
4.	2005-06	2,20,72,880	1,27,07,418	69,82,146
5.	2006-07	2,49,46,631	1,63,35,389	93,98,399
6.	2007-08	265,07,518	200,82,389	1,17,55,321

देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की संख्या

क्रमांक	वर्ष	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	कुलयोग
1.	2001-02	568	188	756
2.	2002-03	565	188	753
3.	2003-04	585	198	783
4.	2004-05	602	208	810
5.	2005-06	665	234	899
6.	2006-07	722	294	1016
7.	2007-08	715	292	1007
8.	2008-09	715	323	1038

आवेदन प्रणाली में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या एवं शुल्क की राशि

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त शुल्क की राशि
1.	2002-03	24,624	5,19,31,000
2.	2003-04	83,683	11,36,15,500
3.	2004-05	1,28,374	33,53,78,000
4.	2005-06	2,64,703	77,89,02,000
5.	2006-07	4,88,333	96,21,65,000
6.	2007-08	7,00,047	146,47,80,000
7.	2008-09	6,84,865	205,45,95,000

सीलबंद बोतलों में देशीमदिरा प्रदाय के ठेकों में स्वीकृत प्रदाय दर

क्र.	वर्ष	स्वीकृत प्रदाय दर प्रति प्रूफ लीटर (रुपये में)							
		रायपुर	दुर्ग	राजनांदगांव	बस्तर	बिलासपुर	कोरबा	जांजगीर-चाँपा	रायगढ़
1.	2000-02	8.99	8.99	—	8.99	8.99	—	—	8.98
2.	2002-04	3.49	3.76	1.49	2.83	1.99	3.11	—	3.01
3.	2004-06	2.98	1.97	2.99	3.01	2.51	1.37	—	1.47
4.	2006-08	5.48	5.70	5.55	5.55	5.49	5.49	—	5.55
5.	2008-10	8.10	8.08	8.09	8.10	8.09	8.10	8.09	8.10

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित विभिन्न मादक द्रव्यों/पदार्थों के लिए निर्धारित ड्यूटी दर, आयात/निर्यात फीस की जानकारी

(1) देशी/विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरें :-

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित ड्यूटी दर
1	2	3
(1)	<u>देशी मदिरा :-</u> मसाला 25.0 U.P. प्लेन 50.0 U.P. रासी 60.0 U.P.	रुपये 48/- प्रति प्रूफलीटर
(2)	<u>विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :-</u> एक्स फैक्ट्री प्राईस प्रति पेटी (12 बोतल)	
	1. रुपये 900/- तक	रुपये 70/- प्रति प्रूफलीटर
	2. रुपये 900/-से अधिक	रुपये 100/- प्रति प्रूफलीटर
(3)	बीयर (माल्ट मदिरा)	रुपये 16/- प्रति बल्क लीटर
(4)	(क) विदेशी मदिरा सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए	रुपये 21/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	रुपये 4/- प्रति बल्क लीटर

स्पष्टीकरण :-

- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, ब्राण्डी, जिन, रम, व्हिस्की, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, विटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य निर्मितियाँ, जो स्परिट युक्त हों।
- माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि।

(2) भांग की ड्यूटी दरें एवं ताड़ी वृक्ष शुल्क :-

क्रमांक	आबकारी शुल्क योग्य वस्तु	वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित ड्यूटी दर/वृक्ष शुल्क की दर
1	2	3
1.	भांग (भाण्डागार से प्रदाय लेने पर) :-	
(क)	वर्ष 2008-09 के लिए नीलाम की गई भांग/भांगघोंटा दुकानों के अनुज्ञप्ति-धारियों द्वारा प्रदाय लिये जाने पर	रुपये 50/- प्रति कि.ग्रा.
(ख)	खण्ड (क) में वर्णित अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त अन्य उपयोगकर्ता जैसे- औषधि निर्माताओं के लिए	रुपये 150/- प्रति कि.ग्रा.
2.	ताड़ी वृक्ष शुल्क	रुपये 5/-प्रति वृक्ष

(3) पॉपीस्ट्रा पर देय शुल्क/परिवहन फीस :-

क्रमांक	पॉपीस्ट्रा पर देय शुल्क/परिवहन फीस का विवरण	वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित शुल्क/परिवहन फीस की दर
1	2	3
1.	अन्तर्राज्यीय आयात के लिए आयात फीस :-	रुपये 5.00 प्रति कि.ग्रा.
2.	निर्यात के लिए :-	
1	पॉपीस्ट्रा के चूर्ण के लिए या बदले हुए रूप में है, तो :-	रुपये 7.50 प्रति कि.ग्रा
2	पॉपीस्ट्रा चूर्ण के रूप में/पीसे हुए रूप में नहीं है, तो :-	रुपये 5.00 प्रति कि.ग्रा
3.	पी.एस.2 के एक अनुज्ञप्तिधारी से दूसरे पी.एस.2 के अनुज्ञप्तिधारी को पॉपीस्ट्रा का परिवहन करने पर :-	रुपये 2.00 प्रति कि.ग्रा.
4.	पी.एस.2 के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पी.एस.3 के अनुज्ञप्तिधारी को पॉपीस्ट्रा के राज्य के भीतर परिवहन करने पर :-	रुपये 2.00 प्रति कि.ग्रा.
5.	पी.एस.2 के अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्त परिसर को उससे संलग्न अतिरिक्त गोदाम/गोदामों से पॉपीस्ट्रा का परिवहन, परिवहन की जाने वाली मात्रा का विचार किए बिना प्रति पास परिवहन फीस :-	रुपये 25.00 प्रति पास

(4) मादक द्रव्यों पर प्रचलित आयात फीस, निर्यात फीस, परमिट फीस का विवरण

मद		वर्ष 2008-09 के लिये निर्धारित आयात/निर्यात फीस की दर
आयात फीस :-		
1.	देशी मदिरा	रु. 0.75 प्रति प्रूफ लीटर
2.	विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रु. 22.00 प्रति प्रूफ लीटर
3.	माल्ट मदिरा (बीयर)	रु. 3.00 प्रति क्वार्ट बोतल
4.	रेक्टिफाईड स्प्रिट (देशी मदिरा विनिर्माण हेतु)	रु. 1.25 प्रति बल्क लीटर
5.	एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (विदेशी मदिरा विनिर्माण हेतु)	रु. 6.00 प्रति बल्क लीटर
6.	पेट्रोल मिक्सिंग हेतु विप्रकृत स्प्रिट (इथेनॉल)	आईल कम्पनीज को पेट्रोल में मिश्रण हेतु इथेनॉल के आयात पर फीस से छूट दी गई है।
निर्यात फीस :-		
1.	देशी मदिरा	रु. 0.30 प्रति प्रूफ लीटर
2.	विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रु. 0.50 प्रति प्रूफ लीटर
3.	माल्ट मदिरा (बीयर)	रु. 0.30 प्रति क्वार्ट बोतल
4.	रेक्टिफाईड स्प्रिट	रु. 0.30 प्रति बल्क लीटर
5.	पेट्रोल मिक्सिंग हेतु विप्रकृत स्प्रिट (इथेनॉल)	आईल कम्पनीज को पेट्रोल में मिश्रण हेतु इथेनॉल के निर्यात पर फीस से छूट दी गई है।
परमिट फीस :-		
1.	देशी मदिरा	—
2.	विदेशी मदिरा	रु. 50.00 प्रति अनुज्ञा पत्र
4.	रेक्टिफाईड स्प्रिट	रु. 50.00 प्रति अनुज्ञा पत्र
5.	एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल	रु. 100.00 प्रति अनुज्ञा पत्र
6.	पेट्रोल मिक्सिंग हेतु विप्रकृत स्प्रिट (इथेनॉल)	आईल कम्पनीज को पेट्रोल में मिश्रण हेतु इथेनॉल के परिवहन पर फीस से छूट दी गई है।
बॉटलिंग फीस एफ.एल.9 लायसेंस के अन्तर्गत :-		रु. 0.05 प्रति नग

बॉटलिंग फीस एफ.एल.9क लायसेंस फ्रैन्चाईसी के अन्तर्गत :-		
विदेशी मदिरा (स्प्रिट) हेतु :-		
(क)	छत्तीसगढ़ में ही विक्रित होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु :-	
(एक)	प्रति क्वार्ट बोतल	रु. 6.20
(दो)	प्रति पिंट बोतल	रु. 3.10
(तीन)	प्रति निप बोतल	रु. 1.55
(चार)	प्रति मैग्नम बोतल	रु. 9.30
(पाँच)	प्रति मिनीएचर बोतल	रु. 0.80
(ख)	प्रदेश के बाहर निर्यात होने वाले प्रत्येक छाप (ब्राण्ड) और लेबल हेतु :-	
(एक)	प्रति क्वार्ट बोतल	रु. 0.60
(दो)	प्रति पिंट बोतल	रु. 0.30
(तीन)	प्रति निप बोतल	रु. 0.15
(चार)	प्रति मैग्नम बोतल	रु. 0.90
(पाँच)	प्रति मिनीएचर बोतल	रु. 0.10

(5) विभिन्न लायसेंस के लिए निर्धारित लायसेंस फीस का विवरण

क्र.	विवरण	फीस का नाम	वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस
1.	2.	3.	4.
1.	डी.-1 आसवनी अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 6,00,000
2.	सी.एस.1-ख देशी मदिरा विनिर्माण अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 2,00,000
3.	सी.एस.1 सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,50,000
4.	विदेशी मदिरा एफ.एल.2 रेस्टारेन्ट बार अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 2,00,000
		जनसंख्या 1.00 लाख तक	
		जनसंख्या 1.00 लाख से 3.00 लाख तक	
		जनसंख्या 3.00 लाख से अधिक	
			रुपये 2,25,000
			रुपये 2,50,000

5.	विदेशी मदिरा एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति		लायसेंस फीस	रुपये 4,00,000
			जनसंख्या 1.00 लाख तक	
			जनसंख्या 1.00 लाख से 3.00 लाख तक	
		(टीप:- नगर की सीमा से 10 कि.मी. परिधि में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट के लिए अनुज्ञप्ति फीस वही होगी, जो उस नगर के लिए लागू हो.)	जनसंख्या 3.00 लाख से अधिक	रुपये 8,00,000
6.	विदेशी मदिरा एफ.एल.4 असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति		लायसेंस फीस	रुपये 10,000
7.	विदेशी मदिरा एफ.एल.4क व्यावसायिक क्लब अनुज्ञप्ति		लायसेंस फीस	रुपये 1,50,000
8.	(क)	रायपुर एवं बिलासपुर जिले के लिए :-	लायसेंस फीस	
	(ख)	रायपुर एवं बिलासपुर को छोड़कर अन्य जिलों के लिए :-	लायसेंस फीस	
9.	विदेशी मदिरा एफ.एल.5 प्रासंगिक अनुज्ञप्ति		लायसेंस फीस	रुपये 2,000 प्रतिदिन
10.	विदेशी मदिरा एफ.एल.6 सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञप्ति		लायसेंस फीस	रुपये 10,000
11.	विदेशी मदिरा एफ.एल.7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति		लायसेंस फीस	रुपये 1,000
12.	विदेशी मदिरा एफ.एल.8 सैनिक विनोद-गृह (क्लब) अनुज्ञप्ति		लायसेंस फीस	रुपये 1,000
13.	एफ.एल.9 बोतल भराई अनुज्ञप्ति		लायसेंस फीस	रुपये 4,00,000
14.	एफ.एल.9क विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति (फ्रैन्चाईसी के अन्तर्गत)		लायसेंस फीस	रुपये 50,000
15.	विदेशी मदिरा एफ.एल.10 विनिर्माणकर्ता की वितरण अनुज्ञप्ति		लायसेंस फीस	रुपये 1,00,00,000

(6) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित आसवनी एवं विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों की सूची

क्रमांक	लायसेंस का प्रकार	नाम लायसेंसी	अनुज्ञप्ति स्थल
1.	डी-1 एवं एफ.एल.9	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग	खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग
2.	डी-1 एवं एफ.एल.9/9क	मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा.लि., छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर	छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर
3.	डी-1 एवं एफ.एल.9	मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेन्ट्स प्रा.लि., ग्राम-धूमा, तहसील-मुंगेली, जिला-बिलासपुर	ग्राम-धूमा, जिला-बिलासपुर
4.	एफ.एल.9	मेसर्स गोल्डन प्रिन्स वाईन्स इण्डिया प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर	सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर
5.	एफ.एल.9 एवं 9क	मेसर्स एजिस बेवरेजेस प्रा.लि. सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर	सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर
6.	एफ.एल.9	मेसर्स रायपुर बॉटलिंग कम्पनी, बहनाकाड़ी, मंदिरहसौद, जिला-रायपुर	बहनाकाड़ी, जिला-रायपुर
7.	एफ.एल.9 एवं 9क	मेसर्स जॉन डिस्टिलरीज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला-रायपुर	सिलतरा, जिला-रायपुर
8.	एफ.एल.9 एवं 9क	मेसर्स कान्टिनेन्टल डिस्टिलरीज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला-रायपुर	सिलतरा, जिला-रायपुर
9.	एफ.एल.9 एवं 9क	मेसर्स सर्वेश्वरी बॉटलिंग एण्ड बेवरेज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला-रायपुर	सिलतरा, जिला-रायपुर

(6.1) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित आसवनी इकाईयों की सूची

क्रमांक	लायसेंस का प्रकार	नाम लायसेंसी	स्थान
1.	डी-1	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग	खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग
2.	डी-1	मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा.लि., छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर	छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर
3.	डी-1	मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेन्ट्स प्रा.लि., ग्राम-धूमा, तहसील-मुंगेली, जिला-बिलासपुर	ग्राम-धूमा, जिला-बिलासपुर

(6.2) छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों की सूची

क्रमांक	लायसेंस का प्रकार	नाम लायसेंसी	स्थान
1.	एफ.एल.9	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग	खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग
2.	एफ.एल.9	मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा.लि., छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर	छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर
3.	एफ.एल.9	मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेन्ट्स प्रा.लि., ग्राम-धूमा, तहसील-मुंगेली, जिला-बिलासपुर	ग्राम-धूमा, जिला-बिलासपुर
4.	एफ.एल.9	मेसर्स गोल्डन प्रिन्स वाईन्स इण्डिया प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर	सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर
5.	एफ.एल.9	मेसर्स एजिस बेवरेजेस प्रा.लि. सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर	सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर
6.	एफ.एल.9	मेसर्स रायपुर बॉटलिंग कम्पनी, बहनाकाड़ी, मंदिरहसौद, जिला-रायपुर	बहनाकाड़ी, जिला-रायपुर
7.	एफ.एल.9	मेसर्स जॉन डिस्टिलरीज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला-रायपुर	सिलतरा, जिला-रायपुर
8.	एफ.एल.9	मेसर्स कान्टिनेन्टल डिस्टिलरीज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला-रायपुर	सिलतरा, जिला-रायपुर
9.	एफ.एल.9	मेसर्स सर्वेश्वरी बॉटलिंग एण्ड बेवरेज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला-रायपुर	सिलतरा, जिला-रायपुर

(6.3) छत्तीसगढ़ राज्य में फ्रैन्चाईसी व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष बोतल भराई की बॉटलिंग इकाईयों की सूची

क्रमांक	लायसेंस का प्रकार	नाम लायसेंसी	किस विनिर्माता कम्पनी से अनुबन्ध है	स्थान
1.	एफ.एल. 9क	मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा.लि., छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर	मेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड, नई दिल्ली	छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर
2.	एफ.एल. 9क	मेसर्स एजिस बेवरेजेस प्रा.लि. सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर	मेसस यूनाईटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, बँगलौर	सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर
3.	एफ.एल. 9क	मेसर्स जॉन डिस्टिलरीज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला-रायपुर	मेसर्स जॉन डिस्टिलरीज लिमिटेड, बँगलौर	सिलतरा, जिला-रायपुर
4.	एफ.एल. 9क	मेसर्स कान्टिनेन्टल डिस्टिलरीज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला-रायपुर	मेसर्स बी.डी.ए. लिमिटेड, मुम्बई एवं मेसर्स तिलकनगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदनगर	सिलतरा, जिला-रायपुर
5.	एफ.एल. 9क	मेसर्स सर्वेश्वरी बॉटलिंग एण्ड बेवरेज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, जिला-रायपुर	मेसर्स सेनटिनी बायोप्रोडक्ट्स प्रा.लि., हैदराबाद	सिलतरा, जिला-रायपुर

**छत्तीसगढ़ राज्य में देशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में प्रदाय करने के लिए
स्वीकृत प्रदाय क्षेत्रों की सूची**

क्र.	लायसेंस का प्रकार	नाम लायसेंसी	आसवनी का स्थान	वर्ष 2008-10 के लिए स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र का नाम		प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों का नाम	
1.	सी.एस.1	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग	खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)	1	रायपुर	1	रायपुर
				2	दुर्ग	2	महासमुंद
2.	सी.एस.1	मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्रा. लि., भोपाल	सेहतगंज, जिला-रायसेन (मध्यप्रदेश)	3	राजनांदगांव	1	राजनांदगांव
						2	कबीरधाम
3.	सी.एस.1	मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा.लि., छेरकाबांधा, बिलासपुर	छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	4.	बस्तर	1	जगदलपुर
						2	उ.ब.काँकर
						3	द.ब.दन्तेवाड़ा
						4	धमतरी
				5.	बिलासपुर	1	बिलासपुर
				6.	कोरबा	1	कोरबा
4.	सी.एस.1	मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेन्ट्स प्रा.लि., धूमा, जिला-बिलासपुर	धूमा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	7.	जांजगीर-चाँपा	1	जांजगीर-चाँपा
						8.	रायगढ़
				2	जशपुर		
				3	सरगुजा		
4	कोरिया						

छत्तीसगढ़ राज्य में आसवनी परिसर स्थित देशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों की सूची

क्रमांक	लायसेंस का प्रकार	नाम लायसेंसी	स्थान
1.	सी.एस.1ख	मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग	ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग
2.	सी.एस.1ख	मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा.लि., छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर	ग्राम-छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर
3.	सी.एस.1ख	मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेन्ट्स प्रा.लि., ग्राम-धूमा, जिला-बिलासपुर	ग्राम-धूमा, जिला-बिलासपुर

अपर आयुक्त आबकारी,
छत्तीसगढ़, रायपुर